



4238/226

INDIA NON JUDICIAL



IN-UP58121181840106Y


Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

4238/226



Certificate No. : IN-UP58121181840106Y
 Certificate Issued Date : 16-Mar-2026 08:28 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14675304/ MURADABAD SADAR/ UP-MRD
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1467530411340755723312Y
 Purchased by : MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
 Description of Document : Article 31 Exchange of property
 Property Description : PROPERTY SITUATED AT SAHYADRI YOJNA (PURV MAI SONAKPUR YOJNA) TEH AND DISTT MORADABAD
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
 Second Party : MAHENDRA PAL SO BABU SINGH
 Stamp Duty Paid By : MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 4,94,400
 (Four Lakh Ninety Four Thousand Four Hundred only)



VERIFIED BY

[Signature]

LOCKED BY

[Signature]

Please write or type below this line

महेश पाल



[Signature]

सबो सहायते प्रहारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद


PF

0015478389

Statutory Alert:

- The e-stamp duty is the stamp consideration of legal document prepared as per applicable provisions of law in respect of stamp duty.
- The e-stamp duty is the stamp consideration of legal document prepared as per applicable provisions of law in respect of stamp duty.
- The e-stamp duty is the stamp consideration of legal document prepared as per applicable provisions of law in respect of stamp duty.
- In case of any discrepancy, please refer to the Competent Authority.

SHEIL



0000000000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CN 268326

भूखण्ड की कुल कीमत	:- 70,66,620.00
मालियत पूर्णांक करने	
के पश्चात देय स्टाम्प रू०	:- 4,94,670.00
ई-स्टाम्प नंबर	:- IN-UP58121181840106Y
ई-स्टाम्प रू०	:- 4,94,400.00
स्टाम्प रू०	:- 300.00
कुल स्टाम्प रू०	:- 4,94,700.00
निबन्धन शुल्क रू०	:-



समायोजन/विनिमय डीड

आज दिनांक- 18/03/2026 को यह समायोजन/विनिमय डीड मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह यादव, सहायक सम्पत्ति प्रभारी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, जिन्हे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है

भूखण्ड पाल



(Handwritten signature)


सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

28 AUG 2025

जो दिनांक..... को एक किताब
नं.राशि..... 50 कुल प्रतिलिपि 40000-
..... Moradabad
को कोषागार मुरादाबाद से विक्रय किया।

मुख्य सेक्रेटरी
कोषागार मुरादाबाद





उत्तर प्रदेश **UTTAR PRADESH**

CN 268323

श्री महेंद्रपाल पुत्र श्री बाबू सिंह निवासी- भोगपुर मिठौनी उर्फ शिरीकुई, सोनकपुर तहसील व जिला- मुरादाबाद जिन्हे आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य अनुसूची-अ व ब में वर्णित भूमि का विनिमय-विलेख समायोजित भूखण्ड/भूमि का स्वामित्व एवं कब्जा प्रदान किये जाने हेतु निष्पादित किया जा रहा है। सहयाद्रि योजना (पूर्व में सोनकपुर योजना) के अन्तर्गत कतिपय भू-स्वामियों की कुछ भूमि ऐसी भी है, जो न तो अधिग्रहीत की गयी है और न ही प्राधिकरण द्वारा क्रय की गयी है, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में भू-स्वामियों की भूमि के बदले 50 प्रतिशत भूमि के विकसित भूखण्ड, भू-स्वामियों को दिये जाने तथा विकसित भूखण्डो पर नियमानुसार विकास शुल्क प्राप्त किये जाने की स्वीकृति, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 133वीं बोर्ड बैठक दिनांक- 05.09.2023 के मद सं0-133/05 तथा 142वीं बोर्ड बैठक दिनांक- 27.09.2025 के मद संख्या- 142/03 में दी जा चुकी है।

और चूंकि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष की, अनुसूची में वर्णित भूखण्ड/कृषि भूमि, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ग्राम-सोनकपुर तहसील व जिला- मुरादाबाद में सहयाद्रि योजना के अन्तर्गत स्थित है, अतः उक्त प्रस्ताव के प्रकाश में आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तों के अधीन, अनुसूची में निर्दिष्ट भूखण्ड/भूमि, जिसको मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के विकसित क्षेत्र में होने के कारण, विनिमय के आधार पर प्रदान किया जा रहा है, द्वितीय पक्ष को हस्तान्तरित किया जा रहा है।

ग्राम-सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित गाटा संख्या-657 की भूमि 0.0371 हेक्टे0 भूमि का जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा निर्धारित दर के अनुसार भूमि की मालियत की गणना निम्नवत् है :-

तालिका- 1

गाटा संख्या	रकबा हैक्टे0 में	जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा 2025-26 की निर्धारित सर्किल दर	मालियत रूपये में
657	0.0371 हेक्टे0	9000/- प्रति वर्ग मी0	33,39,000.00
		कुल घनांक रू0	33,39,000.00

2

महेंद्रपाल



सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद


28 AUG 2025

दिनांक _____ को एक किलो
नमूना सं. 50 कुल धनराशि 40000 -
Mordabad Development Authority
Mordabad
को कोषागार मुरादाबाद से विक्रय किया।

मुख्य रोकटिया
कोषागार मुरादाबाद



भारतीय गैर न्यायिक



तालिका- 2

उत्तर प्रदेश UTAR PRADESH द्वितीय पक्ष को देये जाने वाले भूखण्डों व धनराशि सहित कुल मालियत-

CN 268390

भूखण्ड संख्या	कुल रकबा वर्ग मी० में	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्डों की निर्धारित की गयी आवासीय दर	मालियत रुपये में
पॉकेट-ए (सेक्टर-3) के भूखण्ड संख्या-15 अर्थात 01 भूखण्ड (भूखण्ड का क्षेत्रफल 162.00 वर्गमी०-टाईप- बी)	162.00	39,600 /- प्रति वर्ग मी०	64,15,200.00
देय भूखण्डों का क्षेत्रफल 50% से कम होने के कारण, कम क्षेत्रफल 23.50 वर्गमी० के सापेक्ष प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को देय धनराशि	23.50	27,720 /- प्रति वर्ग मी०	6,51,420.00
		कुल मालियत	70,66,620.00


उपरोक्त वर्णित तालिकाओं में तालिका- 2 में अंकित भूखण्डों की मालियत अधिक होने के कारण उक्त मालियत पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है, जिसका विवरण तालिका- A में अंकित गया है।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड के उक्त निर्णय के अनुपालन में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के स्वामित्व की गाटा संख्या-657 की भूमि 0.0371 हेक्टे० योजना के अन्तर्गत स्थित होने के क्रम में समायोजित होने वाले देय विकसित भूखण्ड का विवरण इस प्रकार है :-

तालिका- A

1	द्वितीय पक्ष/भू-स्वामी का नाम व पता	श्री महेन्द्रपाल पुत्र श्री बाबू सिंह निवासी- भोगपुर मिठौनी उर्फ शिरीकुई, सोनकपुर तहसील व जिला- मुरादाबाद
2	द्वितीय पक्ष की भूमि का गाटा संख्या एवं प्रभावित क्षेत्रफल	गाटा संख्या-657 की 0.0371 हेक्टे०
3	बोर्ड निर्णय अनुसार 50% भूमि का क्षेत्रफल	185.50 वर्ग मी०

महेन्द्रपाल



श्री महेन्द्रपाल पुत्र श्री बाबू सिंह निवासी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

28 AUG 2025

दिनांक.....को एक किता
नराशि.....50.....कुल धनराशि.....4000/-
श्री.....Muzaffarabad Development Authority
को कोषागार मुरादाबाद से विक्रय किया।
Muzaffarabad

मुख्य शेकरिया
कोषागार मुरादाबाद



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

4	समायोजन/विनिमय हेतु प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों का विवरण पॉकेट-ए (सेक्टर-3) के भूखण्ड संख्या-15 अर्थात 01 भूखण्ड (भूखण्ड का क्षेत्रफल 162.00 वर्ग मी०-टाईप- बी) पूर्ण रूप से गाटा संख्या-664 पर अवस्थित हैं।	पॉकेट-ए (सेक्टर-3) के भूखण्ड संख्या-15 अर्थात 01 भूखण्ड	162.00 वर्ग मी०
5	गाटा संख्या- 657 की भूमि 0.0371 हेक्टे० भूमि का 50 प्रतिशत, समायोजित भूमि क्षेत्रफल 185.50 वर्ग मीटर भूमि के सापेक्ष, विकसित भूखंड के कुल क्षेत्रफल 162.00 वर्ग मी०, द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है तथा कम क्षेत्रफल 23.50 वर्ग मी० भूमि के मूल्य का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को किया जा रहा है। द्वितीय पक्ष द्वारा विनिमय विलेख निष्पादित करने पर आने वाले व्यय (स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क) का वहन करने में असमर्थता व्यक्त करने के कारण द्वितीय पक्ष को देय धनराशि में से उक्त धनराशि का समायोजन किया जा रहा है।	कुल 01 भूखण्ड	भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल 162.00 वर्ग मी०
6	समायोजन/विनिमय हेतु प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल		162.00 वर्ग मी०
7	निर्धारित 50% से क्षेत्रफल (अधिक/कम)		185.50-162.00= 23.50 वर्ग मी० कम
8	द्वितीय पक्ष को देय 23.50 वर्ग मी० कम भूमि के सापेक्ष प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को देय धनराशि, जिसका भुगतान प्राधिकरण द्वारा 142वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में द्वितीय पक्ष द्वारा किया जा रहा है।		रु० 6,51,420.00
9	द्वितीय पक्ष को देय भूखंड के कुल क्षेत्रफल का मूल्य		162.00 X रु० 39,600.00= रु० 64,15,200.00
10	कुल मालियत		रु० 70,66,620.00

CN 268391

महेश माल



[Signature]
सहायक सहायक प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

28 AUG 2025

अज्ञ दिनांक.....को एक किता
धनराशि.....50 कुल धनराशि 40000 -
श्री.....Muradabad Development Author
को कोषागार मुरादाबाद से विक्रय Muradabad

मुख्य रोकड़िया
कोषागार मुरादाबाद



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

11	कॉलम सं०- 0 में अंकित कुल मालियत पर द्वितीय पक्ष द्वारा देय कुल स्टांप एवं निबन्धन/शुल्क	रु० 70,66,620.00 X 7% = 4,94,670.00
	उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH	रु० 70,66,620.00 X 1% = 70,670.00
12	प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को उसकी समायोजित भूमि (50 प्रतिशत) 185.50व०मी० के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी, 162.00व०मी० भूमि अर्थात 23.50 व०मी० कम भूमि के सापेक्ष, प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को कम भूमि का मूल्य धनांक रु०-6,51,420.00 में से स्टांप शुल्क एवं निबन्धन शुल्क धनराशि रु०-5,65,400.00 समायोजित कर शेष धनराशि रु०-86,020.00 का भुगतान चैक सं०-400673 दिनांक 13.03.2026 के द्वारा द्वितीय पक्ष को किया जा रहा है।	रु०-86,020.00

CN 268392

अतः द्वितीय पक्ष द्वारा अनुसूची-अ में वर्णित आवासीय भूखण्ड का उपयोग, मुरादाबाद विकास क्षेत्र की महायोजना के भू-उपयोग के आधार पर, उपयोग किया जाना है।

यह विलेख साक्षी है कि, अनुसूची-अ में वर्णित भूखण्डों को, द्वितीय पक्ष के पक्ष में, विनिमय किये जाने हेतु, प्रथम पक्ष एतद्वारा स्वीकार करता है, कि प्रतिफलस्वरूप, तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों, जिनका द्वितीय पक्ष पालन करेगा, को ध्यान में रखकर, प्रथम पक्ष वह भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची-अ में दिया गया है, इस विनिमय विलेख के निष्पादन के दिनांक से, इसकी अनुसूची-अ में वर्णित भूखण्डों पर द्वितीय पक्ष को समस्त वैधानिक आवश्यकताएँ/विधिक औपचारिकताएँ पूर्ण होने के पश्चात, कब्जा प्राप्त हो जायेगा तथा प्रथम पक्ष/मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अभिलेखों में द्वितीय पक्ष का नाम नियमानुसार अंकित किया जायेगा तथा अनुसूची-ब में वर्णित भूमि, पर प्रथम पक्ष/एम०डी०ए० को निजी स्वामित्व एवं कब्जा प्राप्त हो जायेगा तथा राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष, प्रथम पक्ष/मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अपना नाम दर्ज कराने का पूर्ण अधिकारी होगा। द्वितीय पक्ष प्रभावी विधि, नियमों एवं विनियमों के अधीन, उक्त भूखण्ड को हस्तान्तरित कर सकेगा एवं भूखण्ड पर निर्माण किये जाने वाले भवन पर देय करों को अथवा उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान करेगा तथा निर्माण करने से पूर्व, नियमानुसार, तत्समय लागू विकास शुल्क का भुगतान करते हुए, प्रथम पक्ष से अनुज्ञा प्राप्त करेगा। विनिमय विलेख के निष्पादन होने के उपरान्त, द्वितीय पक्ष एवं उसके वारिसान द्वारा भविष्य में अनुसूची ब में

म ६-६ ५१८



सहा० सम्पादक प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

28 AUG 2025

दिनांक.....को एक किता

नं.सं. 50 - कुल धनराशि 100000/-

श्री. Moradabad Development Authority

को कोषागार मुरादाबाद से विक्रय किया।

आवेदन सं०: 202600719010506

मुख्य रोकड़िया

कोषागार मुरादाबाद

विनिमय विलेख

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 4238

वर्ष: 2026

प्रतिफल- 7066620 स्टाम्प शुल्क- 494400 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 70670 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 70730

श्री महेन्द्रपाल,
पुत्र श्री बाबू सिंह
व्यवसाय: अन्य

निवासी: भोगपुर मिठौनी ऊर्फ शिरीकुई सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद

महेन्द्रपाल



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 18/03/2026 एवं 10:58:16 AM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अजय प्रकाश

उप निबंधक : सदर प्रथम

मुरादाबाद

18/03/2026

कल्पित कुमार

निबंधक लिपिक

18/03/2026

प्रिंट करें



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50


INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

वर्णित भूमि पर किसी प्रकार का दावा/वाद-विवाद, किसी भी न्यायालय में करने का अधिकारी नहीं होगा। विनिमय विलेख निष्पादित होने के उपरान्त मुरादाबाद विकास प्राधिकरण/प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से प्राप्त भूमि पर विकास कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा और इस सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार की, कोई भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। इस विनिमय विलेख के निष्पादन की तिथि से अनुसूची-ब में वर्णित भूमि में द्वितीय पक्ष का स्वामित्व, कब्जा एवं समस्त अधिकार समाप्त हो जायेंगे एवं स्वामित्व एवं कब्जा सम्बन्धी समस्त अधिकार पूर्णतः प्रथम पक्ष को प्राप्त होंगे, तथा किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेम/दावा इस बावत द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के विरुद्ध, किसी भी न्यायालय के समक्ष योजित नहीं किया जायेगा। इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्यय को द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जा रहा है।

यह स्पष्ट किया जाता है, कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के सम्बन्ध में, जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, प्रथम पक्ष उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों का तथा द्वितीय पक्ष में उसके दावाधिकारियों निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर्भाव सदैव रहेगा। इस विनिमय विलेख के साक्ष्य में द्वितीय पक्ष ने और प्रथम पक्ष की ओर से उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने, उस तिथि को हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है। इस विलेख में अभिदिष्ट अनुसूची निम्नवत है :-

म. २-२ ५/१२




सहाय सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



28 AUG 2025
 मुरादाबाद की एक
 धनराशि 50 कुल धनराशि
 श्री Muradabad Development Authority
 को कोषागार मुरादाबाद से विक्रय किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जय प्रकाश

उप निबंधक : सदर प्रथम
 मुरादाबाद
 18/03/2026

कल्पित कुमार

निबंधक लिपिक मुरादाबाद
 18/03/2026

मुख्य रोक डिया

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
 टिप्पणी:

प्रिंट करें



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CN 268394

अनुसूची-अ

जिसके स्वामी फरीक अव्वल/प्रथम पक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद है तथा जिसकी आराजी/सम्पत्ति फरीक दायम/द्वितीय पक्ष को विनिमय की जा रही है। सम्पत्ति का विवरण-

भूखंड संख्या	भूखंड का क्षेत्रफल	
पॉकेट-ए (सेक्टर-3)-भूखण्ड सं०- 15	162.00 वर्गमी०	
भूखंडों का कुल क्षेत्रफल	162.00 वर्गमी०	
इस प्रकार निबन्धन हेतु भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल	162.00 वर्गमी०	

अनुसूची-ब

जिसके स्वामी फरीक दायम/द्वितीय पक्ष श्री महेन्द्रपाल पुत्र श्री बाबू सिंह निवासी- भोगपुर मिठौनी उर्फ शिरीकुई, सोनकपुर तहसील व जिला- मुरादाबाद आराजी/सम्पत्ति फरीक गाटा संख्या-657 की भूमि 0.0371 हेक्टे० अव्वल/प्रथम पक्ष को विनिमय की जा रही है तथा जिसका विवरण निम्नवत है:-

महेन्द्रपाल

(Signature)

सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,
मुरादाबाद

28 AUG 2025



जिनांक.....को एक
धनराशि.....३०.....कुल धनराशि.....१००००

श्री.....Moradabad Development Authority
को कोषागार मुरादाबाद से

आवेदन सं०: 202600719010506

मुख्य सेकड़िया

कोषागार मुरादाबाद
रजिस्ट्रेशन सं०: 4238

बही सं०: 1

वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
प्रथम पक्ष: 1

श्री सहायक सम्पत्ति प्रभारी मुरादाबाद विकास
प्राधिकरण के द्वारा देवेन्द्र सिंह यादव,

[MORADABAD DEVELOPMENT
AUTHORITY

पुत्र श्री राम मूर्ति यादव

निवासी: कार्यालय एम०डी०ए०

व्यवसाय: नौकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 731M

द्वितीय पक्ष: 1



श्री महेन्द्रपाल,

[MAHENDRA PAL

पुत्र श्री बाबू सिंह

निवासी: भोगपुर मिठौनी ऊर्फ शिरीकुई सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 223L



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1

श्री नरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री खेम सिंह

निवासी: लेखपाल सोनकपुर मुरादाबाद

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2




श्री दिलीप यादव, पुत्र श्री रंजीत सिंह यादव

निवासी: एम०डी०ए० मुरादाबाद

व्यवसाय: नौकरी



सम्पत्ति का विवरण/फोटोग्राफ



उभय पक्षों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर निम्न गवाहों के समक्ष विनियम/समायोजन डीड पर हस्ताक्षर किये गये।


साक्षी नम्बर 1 -

हस्ताक्षर

नाम- श्री नरेन्द्र

पदनाम - क्षेत्रीय लेखपाल, ग्राम सोनकपुर, तहसील व जिला मुरादाबाद।

पिता का नाम - श्री खेम सिंह



साक्षी नम्बर 2 -

हस्ताक्षर

नाम - श्री दिलीप यादव

पदनाम - लिपिक, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।

पिता का नाम - स्व० रंजीत सिंह यादव



महेश्वरपाल



सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



आवेदन सं०: 202600719010506

इही संख्या 1 जिल्द संख्या 20857 के पृष्ठ 381 से 396 तक क्रमांक 4238 पर
दिनांक 18/03/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जय प्रकाश

उप निबंधक : सतर प्रथम

मुरादाबाद

18/03/2026



प्रिंट करें

दिनांक: 18/3/2026

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश

पूर्व रजिस्ट्रीकरण विवरण

आवेदन संख्या: 202600719010506 जनपद: मुरादाबाद तहसील: मुरादाबाद उप निबंधक: सदर प्रथम

4238
3
26

संपत्ति का विवरण	: मोहल्ला/गाँव : सोनकपुर वाड़/परगना : मुरादाबाद संपत्ति का विवरण : भूखण्ड सं० 15टाईप बी रक० 162.00 वर्ग मी० खसरा 664, 0.0, पूर्व-, पश्चिम-, उत्तर-, दक्षिण-
अभिलेख प्रकार	: विनिमय विलेख
प्रथम पक्ष	: सहायक सम्पत्ति प्रभारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद, पैन न०- , मोबाइल संख्या- , निवासी- मुरादाबाद ।
द्वितीय पक्ष	: महेन्द्रपाल, बाबू सिंह, पैन न०- BMZPP4223L , मोबाइल संख्या- 9457131714 , निवासी- भोगपुर मिठौनी ऊर्फ शिरीकुई सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद ।
निष्पादन तिथि	: 18-03-2026
निबंधन शुल्क	: 70670 (ई-पगतान) चालान सं०
स्टाम्प मूल्य	: ₹ 494400 ई-स्टाम्प सं० IN-UP58121181840106Y
वास्तविक बाजारी मूल्य	: ₹ 0.00
प्रतिफल	: ₹ 7066620

मैं/हम एतद्द्वारा यह घोषणा करते हैं कि इस ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां संबंधित लेखपत्र में निहित तथ्यों के अनुरूप हैं।

मैं आधार धारक, इसके द्वारा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश को मेरे आधार नंबर को ई.के.वाई.सी. एवं पहचान के सत्यापन के लिए अपने अंगूठे के स्कैन के माध्यम से यू.आई.डी.ए.आई. को मेरे आधार नंबर, बायोमेट्रिक आदि का उपयोग करने की सहमति देता हूँ। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश ने मुझे सूचित किया है कि मेरा आधार नंबर और साथ ही बायोमेट्रिक को संग्रहित/ साझा नहीं किया जाएगा और संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया में मदद करने के लिए केवल मेरी पहचान सत्यापन के लिए प्रयोग किया जाएगा।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

(प्रथम पक्ष)

(द्वितीय पक्ष)

निबंधन लिपिक

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

सदर प्रथम, जनपद मुरादाबाद

सदर प्रथम, जनपद मुरादाबाद





INDIA NON JUDICIAL



IN-UP78761707293799Y


Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



4821
26

Certificate No. : IN-UP78761707293799Y
 Certificate Issued Date : 27-Mar-2026 08:45 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14675304/ MURADABAD SADAR/ UP-MRD
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1467530450642288158652Y
 Purchased by : MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
 Description of Document : Article 31 Exchange of property
 Property Description : PROPERTY SITUATED AT SAHYADRI YOJNA (PURV MAI SONAKPUR YOJNA) TEH AND DISTT MORADABAD
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
 Second Party : CHANDRAWATI WO JITENDRA PAL AND OTHERS
 Stamp Duty Paid By : MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 3,70,480
 (Three Lakh Seventy Thousand Four Hundred And Eighty only)



VERIFIED BY

LOCKED BY

Please write or type below this line

403221



Deepali



Deepali

सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

PF 0015478411

Statutory Alert

1. In the event of any dispute, please contact the issuer at www.e-stamp.gov.in or user at customer@e-stamp.gov.in or stamp@e-stamp.gov.in.
2. The issuer is not responsible for the validity of the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy, please refer to the competent authority.

SHCIL



110700100



INDIA NON JUDICIAL




IN-UP82046430040651Y

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Base Certificate No. : IN-UP78761707293799Y
 Certificate No. : IN-UP82046430040651Y
 Certificate Issued Date : 30-Mar-2026 12:52 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14905304/ MURADABAD SADAR/ UP-MRD
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1490530459179412856669Y
 Purchased by : MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
 Description of Document : Article 31 Exchange of property
 Property Description : PROPERTY SITUATED AT SAHYADRI YOJNA (PURV MAI SONAKPUR YOJNA) TEH AND DISTT MORADABAD
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
 Second Party : CHANDRAWATI WO JITENDRA PAL AND OTHERS
 Stamp Duty Paid By : MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 50
 (Fifty only)



VERIFIED BY

LOCKED BY

Please write or type below this line

Handwritten signature



Dupali




Handwritten signature



Handwritten signature

सहा० रामपति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद





भूखण्ड की कुल कीमत रू०	:- 52,92,540.00
मालियत पूर्णांक करने	
के पश्चात देय स्टाम्प रू०	:- 3,70,480.00
ई-स्टाम्प नंबर	:- IN-UP78761707293799Y
ई-स्टाम्प रू०	:- 3,70,480 / -
बेस सर्टिफिकेट नंबर	:- IN-UP78761707293799Y
ई-स्टाम्प नंबर	:- IN-UP82046430040651Y
ई-स्टाम्प रू०	:- 50 / -
कुल ई-स्टाम्प रू०	:- 3,70,530 / -
निबन्धन शुल्क रू०	:-


समायोजन/विनिमय डीड

आज दिनांक- 30/03/2026 को यह समायोजन/विनिमय डीड मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह यादव, सहायक सम्पत्ति प्रभारी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, जिन्हे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है

एवं

श्रीमती चन्द्रवती पत्नी श्री जितेन्द्र पाल, कु० दीपाली पुत्री श्री जितेन्द्र पाल एवं श्री दक्षपाल पुत्र श्री जितेन्द्र पाल, सभी निवासीगण- भोगपुर मिठौनी उर्फ शिरीकुई, तहसील व जिला- मुरादाबाद जिन्हे आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य अनुसूची-अ व ब में वर्णित भूमि का विनिमय-विलेख समायोजित भूखण्ड/भूमि का स्वामित्व एवं कब्जा प्रदान किये जाने हेतु निष्पादित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में द्वितीय पक्षगण श्रीमती चन्द्रवती पत्नी श्री जितेन्द्र पाल, कु० दीपाली पुत्री श्री जितेन्द्र पाल एवं श्री दक्षपाल पुत्र श्री जितेन्द्र पाल द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 16.03.2026 प्रस्तुत करते हुये अनुरोध किया गया है कि, "इनके स्वामित्व के 0.0279 हैक्टे० भूमि के आपसी सहमति/समायोजन उपरान्त कुल क्षेत्रफल 139.50व०मी० के स्थान पर दिये जाने वाले 60.00 वर्ग मी० के दो भूखण्ड को संयुक्त रूप से तीनों आवेदकों के नाम से आवंटित किये जाने तथा शेष 19.50 वर्ग मी० भूमि के मूल्य में से स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क का भुगतान प्राधिकरण द्वारा वहन किये जाने के उपरान्त शेष धनराशि तीनों आवेदकों को बराबर-बराबर भुगतान कर दिया जाये।

यदुवत



Rupali



Daksh



सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

Handwritten text along the left margin, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text along the right margin, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Small handwritten marks or characters at the top right corner of the page.

सहयाद्रि योजना (पूर्व में सोनकपुर योजना) के अन्तर्गत कतिपय भू-स्वामियों की कुछ भूमि ऐसी भी है, जो न तो अधिग्रहीत की गयी है और न ही प्राधिकरण द्वारा क्रय की गयी है, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में भू-स्वामियों की भूमि के बदले 50 प्रतिशत भूमि के विकसित भूखण्ड, भू-स्वामियों को दिये जाने तथा विकसित भूखण्डो पर नियमानुसार विकास शुल्क प्राप्त किये जाने की स्वीकृति, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 133वीं बोर्ड बैठक दिनांक- 05.09.2023 के मद सं0-133/05 तथा 142वीं बोर्ड बैठक दिनांक- 27.09.2025 के मद संख्या- 142/03 में दी जा चुकी है।

और चूंकि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष की, अनुसूची में वर्णित भूखण्ड/कृषि भूमि, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ग्राम-सोनकपुर, तहसील व जिला- मुरादाबाद में सहयाद्रि योजना के अन्तर्गत स्थित है, अतः उक्त प्रस्ताव के प्रकाश में आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तों के अधीन, अनुसूची में निर्दिष्ट भूखण्ड/भूमि, जिसको मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के विकसित क्षेत्र में होने के कारण, विनिमय के आधार पर प्रदान किया जा रहा है, द्वितीय पक्ष को हस्तान्तरित किया जा रहा है।

ग्राम-सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित गाटा संख्या- 657 की भूमि 0.0279 हैक्टे0 भूमि का 50 प्रतिशत 139.50व0मी0 भूमि का जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा निर्धारित दर के अनुसार भूमि की मालियत की गणना निम्नवत् है :-

तालिका- 1

गाटा संख्या	रकबा हैक्टे0 में	जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा 2025-26 की निर्धारित सर्किल दर	मालियत रूपये में
657	0.0279 हेक्टे0	9000/- प्रति वर्ग मी0	25,11,000.00
		कुल घनांक रू0	25,11,000.00

तालिका- 2

द्वितीय पक्ष को दिये जाने वाले भूखण्डो व धनराशि सहित कुल मालियत-

भूखण्ड संख्या	कुल रकबा वर्ग मी0 में	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्डो की निर्धारित की गयी आवासीय दर	मालियत रूपये में
पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या- 237 व 238 अर्थात 02 भूखण्ड (प्रत्येक भूखण्ड का क्षेत्रफल 60.00 व0मी0-टाईप- एफ)	120.00	39,600/- प्रति वर्ग मी0	47,52,000.00
देय भूखण्डों का क्षेत्रफल 50% से कम होने के कारण, कम क्षेत्रफल 19.50 व0मी0 के सापेक्ष प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को देय धनराशि	19.50	27,720/- प्रति वर्ग मी0	5,40,540.00
		कुल मालियत	52,92,540.00

उपरोक्त वर्णित तालिकाओं में तालिका- 2 में अंकित भूखण्डो की मालियत अधिक होने के कारण उक्त मालियत पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है, जिसका विवरण तालिका- A में अंकित गया है।

सहायक प्रभारी

Dusyant



Daksh



सहा० सम्पत्ति प्रभारी

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



आवेदन सं०: 202600719012262

विनिमय विलेख

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 4821

वर्ष: 2026

प्रतिफल- 5292540 स्टाम्प शुल्क- 370480 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 52930 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 52990

श्रीमती चन्द्रवती .
पत्नी श्री जितेन्द्र पाल
व्यवसाय : अन्य
निवासी: भोगपुर मिठौनी शिरीकुई जिला मुरादाबाद

चन्द्रवती



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 30/03/2026 एवं 05:59:13 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जय प्रकाश .
उप निबंधक : सदर प्रथम
मुरादाबाद
30/03/2026

कल्पित कुमार .
निबंधक लिपिक
30/03/2026



मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड के उक्त निर्णय के अनुपालन में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के स्वामित्व की गाटा संख्या- 657 की भूमि 0.0279 हैक्टे0 भूमि का 50 प्रतिशत 139.50व0मी0 योजना के अन्तर्गत स्थित होने के क्रम में समायोजित होने वाले देय विकसित भूखण्ड का विवरण इस प्रकार है :-

तालिका- A

1	द्वितीय पक्ष/भू-स्वामी का नाम व पता	श्रीमती चन्द्रवती पत्नी श्री जितेन्द्र पाल, कु0 दीपाली पुत्री श्री जितेन्द्र पाल एवं श्री दक्षपाल पुत्र श्री जितेन्द्र पाल, सभी निवासीगण- भोगपुर मिठौनी उर्फ शिरीकुई, तहसील व जिला- मुरादाबाद		
2	द्वितीय पक्ष की भूमि का गाटा संख्या एवं प्रभावित क्षेत्रफल	गाटा संख्या- 657 की भूमि 0.0279 हैक्टे0 भूमि का 50 प्रतिशत 139.50व0मी0		
3	बोर्ड निर्णय अनुसार 50% भूमि का क्षेत्रफल	139.50 वर्ग मी0		
4	समायोजन/विनिमय हेतु प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों का विवरण	पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या- 237 व 238 अर्थात 02 भूखण्ड	120.00 व0मी0	
पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या- 237 व 238 अर्थात 02 भूखण्ड-टाईप- एफ) पूर्ण रूप से गाटा संख्या- 636 पर अवस्थित हैं।				
5	गाटा संख्या- 657 की भूमि 0.0279 हैक्टे0 भूमि का 50 प्रतिशत समायोजित भूमि क्षेत्रफल 139.50 वर्ग मीटर भूमि के सापेक्ष, विकसित भूखंड के कुल क्षेत्रफल 120.00 वर्ग मी0, द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है तथा कम क्षेत्रफल 19.50 वर्ग मी0 भूमि के मूल्य का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को किया जा रहा है। द्वितीय पक्ष द्वारा विनिमय विलेख निष्पादित करने पर आने वाले व्यय (स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क) का वहन स्वयं नहीं किये जाने के कारण, उक्त शुल्क का वहन प्राधिकरण द्वारा, (भू-स्वामियों को देय धनराशि में से कम करते हुये), किया जा रहा है।	कुल 02 भूखण्ड	भूखण्डों का कुल क्षेत्र	120.00 वर्ग मी0
6	समायोजन/विनिमय हेतु प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल	120.00व0मी0		
7	निर्धारित 50% से क्षेत्रफल (अधिक/कम)	139.50-120.00= 19.50 वर्ग मी0 कम		
8	द्वितीय पक्ष को देय 19.50 वर्ग मी0 कम भूमि के सापेक्ष प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को देय धनराशि, जिसका भुगतान प्राधिकरण द्वारा 142वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में द्वितीय पक्ष को किया जा रहा है।	रु0 5,40,540.00		
9	द्वितीय पक्ष को देय भूखंड के कुल क्षेत्रफल का मूल्य	120.00 X रु0 39,600.00= रु0 47,52,000.00		
10	कुल मालियत	रु0 52,92,540.00		
11	कॉलम सं0-10 में अंकित कुल मालियत पर द्वितीय पक्ष द्वारा देय कुल स्टाम्प एवं निबंधन/पंजीयन शुल्क	रु0 52,92,540.00 X 7% = 3,70,480.00 रु0 52,92,540.00 X 1% = 52,930.00		

40394
Dy. Commr.
MURADABAD

Daksh
MURADABAD

सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता : 1

श्री नरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री खेम सिंह

निवासी: क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम सोनकपुर जिला मुरादाबाद

व्यवसाय: अन्य



पहचानकर्ता : 2

श्री दिलीप यादव, पुत्र श्री रंजीत सिंह यादव

निवासी: लिपिक एम०डी०ए० मुरादाबाद

व्यवसाय: अन्य



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जय प्रकाश
उप निबंधक : सदर प्रथम
मुरादाबाद
30/03/2026

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी :

कल्पित कुमार
निबंधक लिपिक, मुरादाबाद
30/03/2026



12	<p>प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को उसकी समायोजित भूमि (50 प्रतिशत) 139.50व0मी0 के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी, 120.00व0मी0 भूमि अर्थात् 19.50 व0मी0 कम भूमि के सापेक्ष, प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को कम भूमि का मूल्य धनांक रू0- 5,40,540.00 का भुगतान द्वितीय पक्ष को किया जाना है, परन्तु द्वितीय पक्ष द्वारा स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क प्राधिकरण द्वारा स्वयं वहन करने व प्राथीगणों की धनराशि कम करने का प्रार्थना पत्र दिया गया है। जिसके क्रम में स्टाम्प व निबंधक शुल्क धनांक रू0- 4,23,410.00 का वहन प्राधिकरण द्वारा स्वयं करने के कारण (रू0 5,40,540-4,23,410) कुल शेष रू0 1,17,130.00 का भुगतान बराबर-बराबर अर्थात् रू0 39,044.00 श्रीमती चन्द्रवती पत्नी श्री जितेन्द्र पाल, को केनरा बैंक के चेक संख्या-400710 दिनांक-24.03.2026, रू0 39,043.00 को दीपाली पुत्री श्री जितेन्द्र पाल को केनरा बैंक के चेक संख्या-400711 दिनांक-24.03.2026 , एवं रू0 39,043.00 श्री दक्षपाल पुत्र श्री जितेन्द्र पाल को केनरा बैंक के चेक संख्या-400712 दिनांक-24.03.2026 के द्वारा किया जा रहा है।</p>	<p>रू0- 1,17,130.00</p>
----	---	-------------------------

अतः द्वितीय पक्ष द्वारा अनुसूची-अ में वर्णित आवासीय भूखण्ड का उपयोग, मुरादाबाद विकास क्षेत्र की महायोजना के भू-उपयोग के आधार पर, उपयोग किया जाना है।

यह विलेख साक्षी है कि, अनुसूची-अ में वर्णित भूखण्डों को, द्वितीय पक्ष के पक्ष में, विनिमय किये जाने हेतु, प्रथम पक्ष एतद्वारा स्वीकार करता है, कि प्रतिफलस्वरूप, तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों, जिनका द्वितीय पक्ष पालन करेगा, को ध्यान में रखकर, प्रथम पक्ष वह भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची-अ में दिया गया है, इस विनिमय विलेख के निष्पादन के दिनांक से, इसकी अनुसूची-अ में वर्णित भूखण्डों पर द्वितीय पक्ष को समस्त वैधानिक आवश्यकतायें/विधिक औपचारिकताएँ पूर्ण होने के पश्चात्, कब्जा प्राप्त हो जायेगा तथा प्रथम पक्ष/मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अभिलेखों में द्वितीय पक्ष का नाम नियमानुसार अंकित किया जायेगा तथा अनुसूची-ब में वर्णित भूमि, पर प्रथम पक्ष/एम०डी०ए० को निजी स्वामित्व एवं कब्जा प्राप्त हो जायेगा तथा राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष, प्रथम पक्ष/मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अपना नाम दर्ज कराने का पूर्ण अधिकारी होगा। द्वितीय पक्ष प्रभावी विधि, नियमों एवं विनियमों के अधीन, उक्त भूखण्ड को हस्तान्तरित कर सकेगा एवं भूखण्ड पर निर्माण किये जाने वाले भवन पर देय करों को अथवा उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान करेगा तथा निर्माण करने से पूर्व, नियमानुसार, तत्समय लागू विकास शुल्क का भुगतान करते हुए, प्रथम पक्ष से अनुज्ञा प्राप्त करेगा। विनिमय विलेख के निष्पादन होने के उपरान्त, द्वितीय पक्ष एवं उसके वारिसान द्वारा भविष्य में अनुसूची ब में वर्णित भूमि पर किसी प्रकार का दावा/वाद-विवाद, किसी भी न्यायालय में करने का अधिकारी नहीं होगा। विनिमय विलेख निष्पादित होने के उपरान्त, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण/प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से प्राप्त भूमि पर विकास कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा और इस सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार की, कोई भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। इस विनिमय विलेख के निष्पादन की तिथि से अनुसूची-ब में वर्णित भूमि में द्वितीय पक्ष का स्वामित्व, कब्जा एवं समस्त अधिकार समाप्त हो जायेगे एवं स्वामित्व एवं कब्जा सम्बन्धी समस्त अधिकार पूर्णतः प्रथम पक्ष को प्राप्त होंगे, तथा किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेम/दावा इस बावत द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के विरुद्ध, किसी भी न्यायालय के समक्ष योजित नहीं किया जायेगा। इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्यय को द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जा रहा है।

20/03/26



Dayal




Dayal



Dayal

सहाय सन्वर्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



11

द्वितीय पक्ष के स्वामित्व की भूमि के सम्बन्ध में यदि भविष्य में कोई वाद/विवाद होता है, अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा भू-स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई तथ्य मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से छिपाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रश्नगत विनिमय विलेख स्वतः ही शून्य हो जायेगा और द्वितीय पक्ष को विनिमय विलेख के माध्यम से दिये गये भूखण्डों पर द्वितीय पक्ष का अधिकार समाप्त हो जायेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है, कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के सम्बन्ध में, जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, प्रथम पक्ष उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों का तथा द्वितीय पक्ष में उसके दावाधिकारियों निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर्भाव सदैव रहेगा। इस विनिमय विलेख के साक्ष्य में द्वितीय पक्ष ने और प्रथम पक्ष की ओर से उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने, उस तिथि को हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है। इस विलेख में अभिदिष्ट अनुसूची निम्नवत है :-

अनुसूची-अ

जिसके स्वामी फरीक अव्वल/प्रथम पक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद है तथा जिसकी आराजी/सम्पत्ति फरीक दायम/द्वितीय पक्ष को विनिमय की जा रही है।

सम्पत्ति का विवरण-

भूखंड संख्या	भूखंड का क्षेत्रफल	
पॉकेट-ए (सेक्टर-2)-भूखण्ड सं०- 237	60.00 वर्गमी०	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">7.50 M WIDE ROAD</div> <div style="text-align: center;"> <p>230 239</p> <p>TYPE-F 6MX10M</p> <p>233 236</p> </div> <div style="writing-mode: vertical-rl;">7.50 M WIDE ROAD</div> </div>
पॉकेट-ए (सेक्टर-2)-भूखण्ड सं०- 238	60.00 वर्गमी०	
भूखंडों का कुल क्षेत्रफल	120.00 वर्गमी०	
इस प्रकार निबन्धन हेतु भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल	120.00 वर्गमी०	

Handwritten signature



Handwritten signature: Dayali



Handwritten signature: Daksh



Handwritten signature

सहायक सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



आवेदन सं०: 202600719012262

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 4821

वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

प्रथम पक्ष: 1

श्री सहायक सम्पत्ति प्रभारी मुरादाबाद विकास |MORADABAD
प्रधिकरण के द्वारा देवेन्द्र सिंह यादव, DEVELOPMENT AUTHORITY

पुत्र श्री राममूर्ति यादव

निवासी: एम०डी०ए० मुरादाबाद

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन् XXXXXX 731M

द्वितीय पक्ष: 1



श्रीमती चन्द्रवती,

|CHANDRA WATI

पत्नी श्री जितेन्द्र पाल

निवासी: भोगपुर मिठौनी शिरीकुई जिला मुरादाबाद

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन् XXXXXX 500R

द्वितीय पक्ष: 2



कुमारी दिपाली,

|DEEPALI PAL

जितेन्द्र पाल

निवासी: भोगपुर मिठौनी शिरीकुई जिला मुरादाबाद

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन् XXXXXX 597M

द्वितीय पक्ष: 3



श्री दक्षपाल,


|DAKSHPAL

पुत्र श्री जितेन्द्र पाल

निवासी: भोगपुर मिठौनी शिरीकुई जिला मुरादाबाद

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन् XXXXXX 439H



अनुसूची-ब

जिसके स्वामी फरीक दायम/द्वितीय पक्ष श्रीमती चन्द्रवती पत्नी श्री जितेन्द्र पाल, कु० दीपाली पुत्री श्री जितेन्द्र पाल एवं श्री दक्षपाल पुत्र श्री जितेन्द्र पाल, सभी निवासीगण- भोगपुर मिठौनी उर्फ शिरीकुई, तहसील व जिला- मुरादाबाद आराजी/सम्पत्ति फरीक गाटा संख्या- 657 की भूमि 0.0279 हैक्टे० अब्बल/प्रथम पक्ष को विनिमय की जा रही है तथा जिसका विवरण निम्नवत है:-



उभय पक्षों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर निम्न गवाहों के समक्ष विनिमय/समायोजन डीड पर हस्ताक्षर किये गये।


साक्षी नम्बर 1 -

हस्ताक्षर

नाम- श्री नरेन्द्र

पदनाम - क्षेत्रीय लेखपाल, ग्राम सोनकपुर, तहसील व जिला मुरादाबाद।

पिता का नाम - श्री खेम सिंह



साक्षी नम्बर 2 -

हस्ताक्षर

नाम - श्री दिलीप यादव

पदनाम - लिपिक, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।

पिता का नाम - स्व० रंजीत सिंह यादव



यदव
Rupali

दक्ष

सहा० सम्पादक
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



आवेदन सं०: 202600719012262

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 20881 के पृष्ठ 183 से 198 तक क्रमांक 4821 पर दिनांक 30/03/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जय प्रकाश,
उप निबंधक : सदर प्रथम
मुरादाबाद
30/03/2026



5411



018081500

भूखण्ड की कुल कीमत रू० :- 24,94,800.00
मालियत पूर्णांक करने
के पश्चात स्टाम्प रू० :- 1,74,650.00
ई-स्टाम्प नंबर :- IN-UP93978375723453Y
ई-स्टाम्प रू० :- 1,74,700.00
निबन्धन शुल्क रू० :-



समायोजन/विनिमय डीड

आज दिनांक-०४/०५/2026 को यह समायोजन/विनिमय डीड मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह यादव, सहायक सम्पत्ति प्रभारी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, जिन्हे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है

एवं

श्री कमल किशोर पुत्र श्री मान सिंह निवासी- भोगपुर मिठौनी उर्फ शिरीकुई तहसील व जिला- मुरादाबाद जिन्हे आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य अनुसूची-अ व ब में वर्णित भूमि का विनिमय-विलेख समायोजित भूखण्ड/भूमि का स्वामित्व एवं कब्जा प्रदान किये जाने हेतु निष्पादित किया जा रहा है। सहयाद्रि योजना (पूर्व में सोनकपुर योजना) के अन्तर्गत कतिपय भू-स्वामियों की कुछ भूमि ऐसी भी है, जो न तो अधिग्रहीत की गयी है और न ही प्राधिकरण द्वारा क्रय की गयी है, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में भू-स्वामियों की भूमि के बदले 50 प्रतिशत भूमि के विकसित भूखण्ड, भू-स्वामियों को दिये जाने तथा विकसित भूखण्डों पर नियमानुसार विकास शुल्क प्राप्त किये जाने की स्वीकृति, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 133वीं बोर्ड बैठक दिनांक- 05.09.2023 के मद सं०-133/05 तथा 142वीं बोर्ड बैठक दिनांक- 27.09.2025 के मद संख्या- 142/03 में दी जा चुकी है।

और चूंकि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष की, अनुसूची में वर्णित भूखण्ड/कृषि भूमि, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ग्राम-सोनकपुर, तहसील व जिला- मुरादाबाद में सहयाद्रि योजना के अन्तर्गत स्थित है, अतः उक्त प्रस्ताव के प्रकाश में आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तों के अधीन, अनुसूची में निर्दिष्ट भूखण्ड/भूमि, जिसको मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के विकसित क्षेत्र में होने के कारण, विनिमय के आधार पर प्रदान किया जा रहा है, द्वितीय पक्ष को हस्तान्तरित किया जा रहा है।

कमल किशोर



Devi

सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



ग्राम-सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित गाटा संख्या- 657 की भूमि 0.0106 हैक्टे0 का 50 प्रतिशत 53.00 वर्ग0 मी0 भूमि का जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा निर्धारित दर के अनुसार भूमि की मालियत की गणना निम्नवत् है :-

तालिका- 1

गाटा संख्या	रकबा हैक्टे0 में	जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा 2025-26 की निर्धारित सर्किल दर	मालियत रूपये में
657	0.0106 हैक्टे0	9000 /- प्रति वर्ग मी0	9,54,000.00
		कुल घनांक रू0	9,54,000.00

तालिका- 2

द्वितीय पक्ष को दिये जाने वाले भूखण्डो व धनराशि सहित कुल मालियत-

भूखण्ड संख्या	कुल रकबा वर्ग मी0 में	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्डो की निर्धारित की गयी आवासीय दर	मालियत रूपये में
पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या- 315 (कार्नर भूखण्ड, भूखण्ड का क्षेत्रफल 60.00 वर्गमी0-टाईप-एफ)	60.00	रू0 41,580 /- प्रति वर्गमी0 (39,600 /- प्रति वर्ग मी0+ 5 प्रतिशत कार्नर चार्ज)	24,94,800.00
कुल	60.00	कुल मालियत	24,94,800.00
देय भूखण्डों का क्षेत्रफल 50% से अधिक होने के कारण, अधिक क्षेत्रफल 07.00 वर्गमी0 के सापेक्ष द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को देय धनराशि	07.00	41,580 /- प्रति वर्ग मी0	2,91,060.00
		कुल मालियत	24,94,800.00

उपरोक्त वर्णित तालिकाओं में तालिका- 2 में अंकित भूखण्डो की मालियत अधिक होने के कारण उक्त मालियत पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है, जिसका विवरण तालिका-A में अंकित गया है।


कमल शर्मा



(Handwritten Signature)

सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

Vertical text on the left margin, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible.



Vertical text on the right margin, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible.

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड के उक्त निर्णय के अनुपालन में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के स्वामित्व की गाटा संख्या- 657 की भूमि 0.0106 हैक्टे0 का 50 प्रतिशत 53.00 वर्ग0 मी0 योजना के अन्तर्गत स्थित होने के क्रम में समायोजित होने वाले देय विकसित भूखण्ड का विवरण इस प्रकार है :-

तालिका- ।


1	द्वितीय पक्ष/भू-स्वामी का नाम व पता	श्री कमल किशोर पुत्र श्री मान सिंह निवासी- भोगपुर मिठौनी उर्फ शिरीकुई तहसील व जिला- मुरादाबाद		
2	द्वितीय पक्ष की भूमि का गाटा संख्या एवं प्रभावित क्षेत्रफल	गाटा संख्या- 657 की भूमि 0.0106 हैक्टे0 का 50 प्रतिशत 53.00 वर्ग0 मी0		
3	बोर्ड निर्णय अनुसार 50% भूमि का क्षेत्रफल	53.00 वर्ग मी0		
4	समायोजन/विनिमय हेतु प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों का विवरण	पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या- 315 (कार्नर भूखण्ड)	(भूखण्ड का क्षेत्रफल 60.00 वर्ग मी0-टाईप- एफ)	60.00
	पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या- 315 (कार्नर भूखण्ड, भूखण्ड का क्षेत्रफल 60.00 वर्ग मी0-टाईप- एफ) गाटा संख्या- 660, 655 एवं 639 (क्रय भूमि) पर अवस्थित हैं।			
5	गाटा संख्या- 657 की भूमि 0.0106 हैक्टे0 का 50 प्रतिशत 53.00 वर्ग0 मी0 समायोजित भूमि के सापेक्ष, विकसित भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल 60.00 वर्ग मी0, द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है तथा अतिरिक्त क्षेत्रफल 07.00 वर्ग मी0 भूमि के मूल्य का भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को किया जा रहा है। द्वितीय पक्ष द्वारा विनिमय विलेख निष्पादित करने पर आने वाले व्यय (स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क) का वहन स्वयं किया जा रहा है।	कुल 01 भूखण्ड	भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल	60.00 वर्ग मी0
6	समायोजन/विनिमय हेतु प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल	60.00 वर्ग मी0		
7	निर्धारित 50% से क्षेत्रफल (अधिक/कम)	60.00-53.00= 07.00 वर्ग मी0 अधिक		

कमल किशोर



(Handwritten Signature)

सहा० सभ्यत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



8	द्वितीय पक्ष को देय 07.00 वर्ग मी0 अधिक भूमि के सापेक्ष द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को देय धनराशि, जिसका भुगतान प्राधिकरण द्वारा 142वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में द्वितीय पक्ष द्वारा किया जा रहा है।	रु0 2,91,060.00
9	द्वितीय पक्ष को देय भूखंड के कुल क्षेत्रफल का मूल्य	60.00 X रु0 41,580.00= रु0 24,94,800.00
10	कुल मालियत (9+10)	रु0 24,94,800.00
11	कॉलम सं-10 में अंकित कुल मालियत पर द्वितीय पक्ष द्वारा देय कुल स्टाम्प एवं निबन्धन/पंजीयन शुल्क	रु0 24,94,800.00 X 7% = 1,74,650.00 रु0 24,94,800.00 X 1% = 24,950.00
12	प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को उसकी समायोजित भूमि (50 प्रतिशत) 53.00व0मी0 के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी, 60.00व0मी0 भूमि अर्थात 07.00 व0मी0 अधिक भूमि के सापेक्ष, द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को अधिक भूमि का मूल्य धनांक रु0 2,91,060.00 का भुगतान बैंक RTGS के माध्यम से UTR No-BARBR52026040400785907 दिनांक 04.04.2026 के द्वारा प्रथम पक्ष को किया जा रहा है।	रु0 2,91,060.00

अतः द्वितीय पक्ष द्वारा अनुसूची-अ में वर्णित आवासीय भूखण्ड का उपयोग, मुरादाबाद विकास क्षेत्र की महायोजना के भू-उपयोग के आधार पर, उपयोग किया जाना है।


सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

कमल मिश्रा





आवेदन सं०: 202600719013606

विनिमय विलेख

वही सं०: 1


रजिस्ट्रेशन सं०: 5342

वर्ष: 2026

प्रतिफल- 2494800 स्टाम्प शुल्क- 174700 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 24950 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 25010

श्री कमल किशोर,
पुत्र श्री मान सिंह
व्यवसाय: अन्य
निवासी: भोगपुर मिठोनी ऊर्फ शिरीकुई

कमल किशोर



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 08/04/2026 एवं 04:43:23 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जुमल फैसल
उप निबंधक :सदर प्रथम
मुरादाबाद
08/04/2026

कविप्र कुमार
निबंधक लिपिक
08/04/2026



यह विलेख साक्षी है कि, अनुसूची-अ में वर्णित भूखण्डों को, द्वितीय पक्ष के पक्ष में, विनिमय किये जाने हेतु, प्रथम पक्ष एतद्वारा स्वीकार करता है, कि प्रतिफलस्वरूप, तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों, जिनका द्वितीय पक्ष पालन करेगा, को ध्यान में रखकर, प्रथम पक्ष वह भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची-अ में दिया गया है, इस विनिमय विलेख के निष्पादन के दिनांक से, इसकी अनुसूची-अ में वर्णित भूखण्डों पर द्वितीय पक्ष को समस्त वैधानिक आवश्यकतायें/विधिक औपचारिकताएँ पूर्ण होने के पश्चात, कब्जा प्राप्त हो जायेगा तथा प्रथम पक्ष/मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अभिलेखों में द्वितीय पक्ष का नाम नियमानुसार अंकित किया जायेगा तथा अनुसूची-ब में वर्णित भूमि, पर प्रथम पक्ष/एम०डी०ए० को निजी स्वामित्व एवं कब्जा प्राप्त हो जायेगा तथा राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष, प्रथम पक्ष/मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अपना नाम दर्ज कराने का पूर्ण अधिकारी होगा। द्वितीय पक्ष प्रभावी विधि, नियमों एवं विनियमों के अधीन, उक्त भूखण्ड को हस्तान्तरित कर सकेगा एवं भूखण्ड पर निर्माण किये जाने वाले भवन पर देय करों को अथवा उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान करेगा तथा निर्माण करने से पूर्व, नियमानुसार, तत्समय लागू विकास शुल्क का भुगतान करते हुए, प्रथम पक्ष से अनुज्ञा प्राप्त करेगा। विनिमय विलेख के निष्पादन होने के उपरान्त, द्वितीय पक्ष एवं उसके वारिसान द्वारा भविष्य में अनुसूची ब में वर्णित भूमि पर किसी प्रकार का दावा/वाद-विवाद, किसी भी न्यायालय में करने का अधिकारी नहीं होगा। विनिमय विलेख निष्पादित होने के उपरान्त, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण/प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से प्राप्त भूमि पर विकास कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा और इस सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार की, कोई भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। इस विनिमय विलेख के निष्पादन की तिथि से अनुसूची-ब में वर्णित भूमि में द्वितीय पक्ष का स्वामित्व, कब्जा एवं समस्त अधिकार समाप्त हो जायेगे एवं स्वामित्व एवं कब्जा सम्बन्धी समस्त अधिकार पूर्णतः प्रथम पक्ष को प्राप्त होंगे, तथा किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेम/दावा इस बावत द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के विरुद्ध, किसी भी न्यायालय के समक्ष योजित नहीं किया जायेगा। इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्यय को द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जा रहा है।

द्वितीय पक्ष के स्वामित्व की भूमि के सम्बन्ध में यदि भविष्य में कोई वाद/विवाद होता है, अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा भू-स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई तथ्य मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से छिपाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रश्नगत विनिमय विलेख स्वतः ही शून्य हो जायेगा और द्वितीय पक्ष को विनिमय विलेख के माध्यम से दिये गये भूखण्डों पर द्वितीय पक्ष का अधिकार समाप्त हो जायेगा।


यह स्पष्ट किया जाता है, कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के सम्बन्ध में, जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, प्रथम पक्ष उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों का तथा द्वितीय पक्ष में उसके दावाधिकारियों निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर्भाव सदैव रहेगा। इस विनिमय विलेख के साक्ष्य में द्वितीय पक्ष ने और प्रथम पक्ष की ओर से उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने, उस तिथि को हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है। श्री विनोद को कार्नर का भूखण्ड आवंटित किया गया है, यदि योजना के विकास के उपरान्त भूखण्ड के क्षेत्र में वृद्धि होती है, तो श्री विनोद को नियमानुसार भूखण्ड के अतिरिक्त मूल्य का भुगतान करना होगा।

कमल मिश्रा




(Handwritten Signature)

सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



जुल जमाल फैसल
उप निबंधक : सदर प्रथम
मुरादाबाद
08/04/2026

कल्पित कुमार
निबंधक लिपिक मुरादाबाद
08/04/2026



इस विलेख में अभिदिष्ट अनुसूची निम्नवत है :-

अनुसूची-अ


जिसके स्वामी फरीक अब्बल/प्रथम पक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद है तथा जिसकी आराजी/सम्पत्ति फरीक दायम/द्वितीय पक्ष को विनिमय की जा रही है। सम्पत्ति का विवरण-

भूखंड संख्या	भूखंड का क्षेत्रफल	
पॉकेट-ए (सेक्टर-2)-भूखण्ड सं०- 315	60.00 व०मी०	
भूखंडों का कुल क्षेत्रफल	60.00 व०मी०	
इस प्रकार निबन्धन हेतु भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल	60.00 व०मी०	

अनुसूची-ब

जिसके स्वामी फरीक दायम/द्वितीय पक्ष श्री कमल किशोर पुत्र श्री मान सिंह निवासी-भोगपुर मिठौनी उर्फ शिरीकुई तहसील व जिला- मुरादाबाद आराजी/सम्पत्ति फरीक गाटा संख्या- 657 की भूमि 0.0106 हेक्टे० अब्बल/प्रथम पक्ष को विनिमय की जा रही है तथा जिसका विवरण निम्नवत है:-

सम्पत्ति का विवरण/फोटोग्राफ



कमल किशोर



(Handwritten signature)

सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



आवेदन सं०: 202600719013606

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 5342

वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
प्रथम पक्ष: 1

श्री सहायक सम्पत्ति प्रभारी एम०डी०ए०
के द्वारा देवेन्द्र सिंह यादव,

MORADABAD
DEVELOPMENT AUTHORITY

पुत्र श्री राम मूर्ति यादव

निवासी: एम०डी०ए०

व्यवसाय: नौकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन् XXXXXX 731M

द्वितीय पक्ष: 1

Devedra Singh



श्री कमल किशोर,

[KAMAL KISHOR

पुत्र श्री मान सिंह

निवासी: भोगपुर मिठोनी ऊर्फ शिरीकुई

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन् XXXXXX 054R

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1

Kamal Kishor



श्री नरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री खेम सिंह

निवासी: लेखपाल सोनकपुर मुरादाबाद

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2

Narendra Singh



श्री दिलीप यादव, पुत्र श्री रंजीत सिंह यादव

निवासी: एम०डी०ए०

व्यवसाय: नौकरी

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।
टिप्पणी:

Dilip Yadav



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[Signature]

उभय पक्षों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर निम्न गवाहों के समक्ष विनिमय/समायोजन डीड पर हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी नम्बर 1 -




हस्ताक्षर


नाम- श्री नरेन्द्र

पदनाम - क्षेत्रीय लेखपाल, ग्राम सोनकपुर, तहसील व जिला मुरादाबाद।

पिता का नाम - श्री खेम सिंह



साक्षी नम्बर 2 -



हस्ताक्षर

नाम - श्री दिलीप यादव

पदनाम - लिपिक, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।

पिता का नाम - स्व० रंजीत सिंह यादव



जमल किशोर




सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



आवेदन सं०: 202600719013606

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 20900 के पृष्ठ 113 से 128 तक क्रमांक 5342 पर दिनांक 08/04/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


जुल जमाल फैसल
उप निबंधक : सदर प्रथम
मुरादाबाद
08/04/2026



स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश

पूर्व रजिस्ट्रीकरण विवरण

आवेदन संख्या: 202600719013606 जनपद: मुरादाबाद तहसील: मुरादाबाद उप निबंधक: सदर प्रथम

संपत्ति का विवरण	: मोहल्ला/गांव : सोनकपुर : वार्ड/परगना : मुरादाबाद : संपत्ति का विवरण : भूखण्ड सं० 315 रक० 60 बर्ग मी० खसरा 660,655,एव 639, 0.0 , पूर्व-, पश्चिम-, उत्तर-, दक्षिण-
अभिलेख प्रकार	: विनियम विलेख
प्रथम पक्ष	: सहायक सम्पत्ति प्रभारी एम०डी०ए०, मुरादाबाद, पैन न०- , मोबाइल संख्या- , निवासी- मुरादाबाद।
द्वितीय पक्ष	: कमल किशोर, मान सिंह, पैन न०- DOOPK.8054R , मोबाइल संख्या- 9457685878 , निवासी- भोगपुर मिठोनी ऊर्फ शिरीकुई।
निष्पादन तिथि	: 08-04-2026
निबंधन शुल्क	: 24950 (ई-भुगतान) चालान सं०
स्टाम्प मूल्य	: ₹ 174700 ई-स्टाम्प सं० IN-UP93978375723453Y
वास्तविक बाजारी मूल्य	: ₹ 0.00
प्रतिफल	: ₹ 2494800

5342
4
26

मैं/हम एतद्वारा यह घोषणा करते हैं कि इस ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां संबंधित लेखपत्र में निहित तथ्यों के अनुरूप हैं।

मैं आधार धारक, इसके द्वारा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश को मेरे आधार नंबर को ई.के.वाई.सी. एवं पहचान के सत्यापन के लिए अपने अंगूठे के स्कैन के माध्यम से यू.आई.डी.ए.आई. को मेरे आधार नंबर, बायोमैट्रिक आदि का उपयोग करने की सहमति देता हूं। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश ने मुझे सूचित किया है कि मेरा आधार नंबर और साथ ही बायोमैट्रिक को संग्रहित/ साझा नहीं किया जाएगा और संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया में मदद करने के लिए केवल मेरी पहचान सत्यापन के लिए प्रयोग किया जाएगा।

हस्ताक्षर

(प्रथम पक्ष)

निबंधन लिपिक

सदर प्रथम, जनपद मुरादाबाद

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी


सदर प्रथम, जनपद मुरादाबाद

हस्ताक्षर

(द्वितीय पक्ष)



Handwritten marks, possibly initials or a signature, located in the upper left quadrant of the page.



Government of Uttar Pradesh




4512/16

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP01984991001105Y
 Certificate Issued Date : 18-Mar-2026 02:23 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14792404/ MURADABAD SADAR/ UP-MRD
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1479240418789683279172Y
 Purchased by : MAHENDRA PAL SO LATE MAAN SINGH
 Description of Document : Article 31 Exchange of property
 Property Description : PROPERTY SITUATED AT- SAHYADRI YOJNA (PURV MAI SONAKPUR YOJNA) TEH. AND DIST. MORADABAD
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
 Second Party : MAHENDRA PAL SO LATE MAAN SINGH
 Stamp Duty Paid By : MAHENDRA PAL SO LATE MAAN SINGH
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 1,66,500
 (One Lakh Sixty Six Thousand Five Hundred only)




VERIFIED BY



LOCKED BY

Please write or type below this line

महेश पात



सहाय सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

PF 0015484439

Statutory Alert

1. The public utility of this e-stamp certificate cannot be verified at some administrative level. Any discrepancy in the details on this e-stamp certificate will be reported to the concerned authority.
2. The user is warning the legitimacy of the details of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the concerned Agency.



51012



भूखण्ड की कुल कीमत	:- 23,76,000.00
मालियत पूर्णांक करने	
के पश्चात देय स्टाम्प रू०	:- 1,66,320.00
ई-स्टाम्प नंबर	:- IN-UP61984991661105Y
ई-स्टाम्प रू०	:- 1,66,500.00
निबन्धन शुल्क	:-



समायोजन/विनिमय डीड


आज दिनांक-२५/०३/२०२६ को यह समायोजन/विनिमय डीड मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह यादव, सहायक सम्पत्ति प्रभारी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, जिन्हे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है

एवं

श्री महेन्द्रपाल पुत्र श्री मान सिंह निवासी- भोगपुर मिठौनी उर्फ शिरीकुई तहसील व जिला- मुरादाबाद जिन्हे आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य अनुरूची-अ व ब में वर्णित भूमि का विनिमय-विलेख समायोजित भूखण्ड/भूमि का स्वागित्व एवं कब्जा प्रदान किये जाने हेतु निष्पादित किया जा रहा है। सहयाद्रि योजना (पूर्व में सोनकपुर योजना) के अन्तर्गत कतिपय भू-स्वामियों की कुछ भूमि ऐसी भी है, जो न तो अधिग्रहीत की गयी है और न ही प्राधिकरण द्वारा क्रय की गयी है, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में भू-स्वामियों की भूमि के बदले 50 प्रतिशत भूमि के विकसित भूखण्ड, भू-स्वामियों को दिये जाने तथा विकसित भूखण्डों पर नियमानुसार विकास शुल्क प्राप्त किये जाने की स्वीकृति, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 133वीं बोर्ड बैठक दिनांक- 05.09.2023 के मद सं०-133/05 तथा 142वीं बोर्ड बैठक दिनांक- 27.09.2025 के मद संख्या- 142/03 में दी जा चुकी है।

और चूंकि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष की, अनुरूची में वर्णित भूखण्ड/कृषि भूमि, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ग्राम-सोनकपुर, तहसील व जिला- मुरादाबाद में सहयाद्रि योजना के अन्तर्गत स्थित है, अतः उक्त प्रस्ताव के प्रकाश में आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तों के अधीन, अनुरूची में निर्दिष्ट भूखण्ड/भूमि, जिसको मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के विकसित क्षेत्र में होने के कारण, विनिमय के आधार पर प्रदान किया जा रहा है, द्वितीय पक्ष को हस्तान्तरित किया जा रहा है।

महेन्द्रपाल



(Handwritten signature)

सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

सोनकपुर
काशी, मुरादाबाद

गाटा	
संख्या	
657	



गाटा संख्या- 657 की रकबा 0.0106 हैक्टे0 भूमि का जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा निर्धारित दर के अनुसार भूमि की मालियत की गणना निम्नवत् है :-

तालिका- 1

गाटा संख्या	रकबा हैक्टे0 में	जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा 2025-26 की निर्धारित सर्किल दर	मालियत रुपये में
657	0.0106 हैक्टे0	9000/- प्रति वर्ग मी0	9,54,000.00
		कुल घनांक रू0	9,54,000.00

तालिका- 2

द्वितीय पक्ष को दिये जाने वाले भूखण्डो व धनराशि सहित कुल मालियत-

भूखण्ड संख्या	कुल रकबा वर्ग मी0 में	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्डो की निर्धारित की गयी आवासीय दर	मालियत रुपये में
पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या- 343 (भूखण्ड का क्षेत्रफल 60.00 वर्ग मी0-टाईप- एफ)	60.00	39,600/- प्रति वर्ग मी0	23,76,000.00
कुल	60.00	कुल मालियत	23,76,000.00
देय भूखण्डों का क्षेत्रफल 50% से अधिक होने के कारण, अधिक क्षेत्रफल 07.00 वर्ग मी0 के सापेक्ष द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को देय धनराशि	07.00	39,600/- प्रति वर्ग मी0	2,77,200.00
		कुल मालियत	23,76,000.00


उपरोक्त वर्णित तालिकाओं में तालिका- 2 में अंकित भूखण्डो की मालियत अधिक होने के कारण उक्त मालियत पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है, जिसका विवरण तालिका- A में अंकित गया है।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड के उक्त निर्णय के अनुपालन में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के स्वामित्व की गाटा संख्या- 657 की रकबा 0.0106 हैक्टे0 भूमि का 50 प्रतिशत 53.00 वर्ग मी0 योजना के अन्तर्गत स्थित होने के क्रम में समायोजित होने वाले देय विकसित भूखण्ड का विवरण इस प्रकार है :-

तालिका- A

1	द्वितीय पक्ष/भू-स्वामी का नाम व पता	श्री महेन्द्रपाल पुत्र श्री मान सिंह निवासी- भोगपुर मिठौनी उर्फ शिरीकुई तहसील व जिला- मुरादाबाद
2	द्वितीय पक्ष की भूमि का गाटा संख्या एवं प्रभावित क्षेत्रफल	गाटा संख्या- 657 की रकबा 0.0106 हैक्टे0 भूमि का 50 प्रतिशत 53.00 वर्ग मी0
3	बोर्ड निर्णय अनुसार 50% भूमि का क्षेत्रफल	53.00 वर्ग मी0

महेन्द्रपाल



(Signature)

सहायक सचिव प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

2



पंजीकरण / निविदा
 गाटा संख्या-
 प्रतिशत समा
 के सापेक्ष
 5

आवेदन सं०: 202600719011427

विनिमय विलेख

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 4512

वर्ष: 2026

प्रतिफल- 2376000 स्टाम्प शुल्क- 166500 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 23760 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 23820

श्री महेन्द्रपाल .
 पुत्र श्री मान सिंह
 व्यवसाय : अन्य
 निवासी: भोगपुर मिठोनी ऊर्फ शिरीकुई तहसील व जिला मुरादाबाद

महेन्द्रपाल



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 24/03/2026 एवं 04:21:57 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


जय प्रकाश .
 उप निबंधक :सदर प्रथम
 मुरादाबाद
 24/03/2026

कल्पित कुमार .
 निबंधक लिपिक
 24/03/2026



	समायोजन/विनिमय हेतु प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों का विवरण	पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या- 343	(भूखण्ड का क्षेत्रफल 60.00 वर्ग मी०-टाईप-एफ)	60.00
	पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या- 343 (भूखण्ड का क्षेत्रफल 60.00 वर्ग मी०-टाईप-एफ) गाटा संख्या- 656 (क्रय भूमि) पर अवस्थित हैं।			
5	गाटा संख्या- 657 की रकबा 0.0106 हेक्टे० का 50 प्रतिशत समायोजित भूमि क्षेत्रफल 53.00 वर्ग मी भूमि के सापेक्ष, विकसित भूखंड के कुल क्षेत्रफल 60.00 वर्ग मी०, द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है तथा अतिरिक्त क्षेत्रफल 07.00 वर्ग मी० भूमि के मूल्य का भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को किया जा रहा है। द्वितीय पक्ष द्वारा विनिमय विलेख निष्पादित करने पर आने वाले व्यय (स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क) का वहन स्वयं किया जा रहा है।	कुल 01 भूखण्ड	भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल	60.00 वर्ग मी०
6	समायोजन/विनिमय हेतु प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल	60.00 वर्ग मी०		
7	निर्धारित 50% से क्षेत्रफल (अधिक/कम)	60.00-53.00= 07.00 वर्ग मी० अधिक		
8	द्वितीय पक्ष को देय 07.00 वर्ग मी० अधिक भूमि के सापेक्ष द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को देय धनराशि, जिसका भुगतान प्राधिकरण द्वारा 142वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में द्वितीय पक्ष द्वारा किया जा रहा है।	₹ 2,77,200.00		
9	द्वितीय पक्ष को देय भूखंड के कुल क्षेत्रफल का मूल्य	60.00 X ₹ 39,600.00= ₹ 23,76,000.00		
10	कुल मालियत (9+10)	₹ 23,76,000.00		
11	कॉलम सं०-10 में अंकित कुल मालियत पर द्वितीय पक्ष द्वारा देय कुल स्टाम्प एवं	₹ 23,76,000.00 X 7% = 1,66,320.00		
	निबंधन/पंजीयन शुल्क	₹ 23,76,000.00 X 1% = 23,760.00		

मेहताल



(Handwritten signature)

सहा० सम्पत्ति प्रभारी
भरादाबाद विकास प्राधिकरण
भरादाबाद

पक्ष द्वारा द्वि
भूमि (50 प्रतिश
60.00वर्गमी० भूमि
पक्ष को देय 53
व०मी० अधिक भूमि
दी जा रही है।
मी० अधिक भूमि
का मुताबान



<p>प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को उसकी समायोजित भूमि (50 प्रतिशत) 53.00वर्गमी० के सापेक्ष 60.00वर्गमी० भूमि उपलब्ध करायी जा रही है। द्वितीय पक्ष को देय 53 वर्ग मी० भूमि के सापेक्ष 07.00 वर्गमी० अधिक भूमि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दी जा रही है। अतः द्वितीय पक्ष को देय 7.00 वर्ग मी० अधिक भूमि का मूल्य घनांक रु० 2,77,200.00 का भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा एस०बी०आई० बैंक डी०डी० सं०-124940, दिनांक 18.03.2026 के द्वारा प्रथम पक्ष को किया जा रहा है।</p>	<p>रु० 2,77,200.00</p>
--	-------------------------------

अतः द्वितीय पक्ष द्वारा अनुसूची-अ में वर्णित आवासीय भूखण्ड का उपयोग, मुरादाबाद विकास क्षेत्र की महायोजना के भू-उपयोग के आधार पर, उपयोग किया जाना है।

यह विलेख साक्षी है कि, अनुसूची-अ में वर्णित भूखण्डों को, द्वितीय पक्ष के पक्ष में, विनिमय किये जाने हेतु, प्रथम पक्ष एतद्वारा स्वीकार करता है, कि प्रतिफलस्वरूप, तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों, जिनका द्वितीय पक्ष पालन करेगा, को ध्यान में रखकर, प्रथम पक्ष वह भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची-अ में दिया गया है, इस विनिमय विलेख के निष्पादन के दिनांक से, इसकी अनुसूची-अ में वर्णित भूखण्डों पर द्वितीय पक्ष को समस्त वैधानिक आवश्यकतायें/विधिक औपचारिकताएँ पूर्ण होने के पश्चात्, कब्जा प्राप्त हो जायेगा तथा प्रथम पक्ष/मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अभिलेखों में द्वितीय पक्ष का नाम नियमानुसार अंकित किया जायेगा तथा अनुसूची-ब में वर्णित भूमि, पर प्रथम पक्ष/एम०डी०ए० को निजी स्वामित्व एवं कब्जा प्राप्त हो जायेगा तथा राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष, प्रथम पक्ष/मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अपना नाम दर्ज कराने का पूर्ण अधिकारी होगा। द्वितीय पक्ष प्रभावी विधि, नियमों एवं विनियमों के अधीन, उक्त भूखण्ड को हस्तान्तरित कर सकेगा एवं भूखण्ड पर निर्माण किये जाने वाले भवन पर देय करों को अथवा उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान करेगा तथा निर्माण करने से पूर्व, नियमानुसार, तत्समय लागू विकास शुल्क का भुगतान करते हुए, प्रथम पक्ष से अनुज्ञा प्राप्त करेगा। विनिमय विलेख के निष्पादन होने के उपरान्त, द्वितीय पक्ष एवं उसके वारिसान द्वारा भविष्य में अनुसूची ब में वर्णित भूमि पर किसी प्रकार का दावा/वाद-विवाद, किसी भी न्यायालय में करने का अधिकारी नहीं होगा। विनिमय विलेख निष्पादित होने के उपरान्त, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण/प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से प्राप्त भूमि पर विकास कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा और इस सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार की, कोई भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। इस विनिमय विलेख के निष्पादन की तिथि से अनुसूची-ब में वर्णित भूमि में द्वितीय पक्ष का स्वामित्व, कब्जा एवं समस्त अधिकार समाप्त हो जायेगे एवं स्वामित्व एवं कब्जा सम्बन्धी समस्त अधिकार पूर्णतः प्रथम पक्ष को प्राप्त होंगे, तथा किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेम/दावा इस बावत द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के विरुद्ध, किसी भी न्यायालय के समक्ष योजित नहीं किया जायेगा। इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्यय को द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जा रहा है।

यह स्पष्ट किया जाता है, कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के सम्बन्ध में, जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, प्रथम पक्ष उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों का तथा द्वितीय पक्ष में उसके दावाधिकारियों निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर्भाव सदैव रहेगा। इस विनिमय विलेख के साक्ष्य में द्वितीय पक्ष ने और प्रथम पक्ष की ओर से उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने,

218-5 पत्तल



(Handwritten Signature)

सहायक संपत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण



हस्ताक्षर
जिसके स्वामि
आराजो / सम्पत्ति फरी
महू
नंकेट-९ सिक्टर

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जयकाश
उप निबंधक : सदर प्रथम
मुरादाबाद
24/03/2026

कल्पित कुमार
निबंधक निपिक मुरादाबाद
24/03/2026


ने की । प्रत्यक्षत भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :



को हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है। इस विलेख में अभिदिष्ट अनुसूची निम्नवत

अनुसूची-अ


जिसके स्वामी फरीक अब्दुल/प्रथम पक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद है तथा जिसकी आराजी/सम्पत्ति फरीक दायम/द्वितीय पक्ष को विनिमय की जा रही है। सम्पत्ति का विवरण-

मूखंड संख्या	मूखंड का क्षेत्रफल	
पॉकेट-ए (सेक्टर-2)-मूखण्ड सं०- 343	60.00 वर्गमी०	
मूखंडों का कुल क्षेत्रफल	60.00 वर्गमी०	
इस प्रकार निबन्धन हेतु मूखण्डों का कुल क्षेत्रफल	60.00 वर्गमी०	

अनुसूची-ब

जिसके स्वामी फरीक दायम/द्वितीय पक्ष श्री महेन्द्रपाल पुत्र श्री मान सिंह निवासी- भोगपुर मिठौनी उर्फ शिरीकुई तहसील व जिला- मुरादाबाद आराजी/सम्पत्ति फरीक गाटा संख्या-657 की भूमि 0.0106 हेक्टेर अब्दुल/प्रथम पक्ष को विनिमय की जा रही है तथा जिसका विवरण निम्नवत है:-

सम्पत्ति का विवरण/फोटोग्राफ



महेन्द्रपाल



साहाय सम्पत्ति प्रणारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

5



उमय पयो द्वा

मये।

आवेदन सं०: 202600719011427

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 4512

वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

प्रथम पक्ष: 1

श्री सहायक सम्पत्ति प्रभारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा देवेन्द्र सिंह यादव,

MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

पुत्र श्री राम मूर्ति यादव

निवासी: एम०डी० ए० मुरादाबाद

व्यवसाय: नौकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 731M

द्वितीय पक्ष: 1



श्री महेन्द्रपाल,

MAHENDRA PAL

पुत्र श्री मान सिंह

निवासी: भोगपुर मिठोनी ऊर्फ शिरीकुई तहसील व जिला मुरादाबाद

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 052R



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री नरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री खेम सिंह

निवासी: लेखपाल सोनकपुर मुरादाबाद

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2



श्री दिलीप यादव, पुत्र श्री रंजीत सिंह यादव

निवासी: एम०डी०ए० मुरादाबाद

व्यवसाय: नौकरी



उभय पक्षों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर निम्न गवाहों के समक्ष विनिमय/समायोजन डीड पर हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी नम्बर 1 -



हस्ताक्षर _____

नाम- श्री नरेन्द्र

पदनाम - क्षेत्रीय लेखपाल, ग्राम सोनकपुर, तहसील व जिला मुरादाबाद।

पिता का नाम - श्री खेम सिंह



साक्षी नम्बर 2 -



हस्ताक्षर _____

नाम - श्री दिलीप यादव

पदनाम - लिपिक, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।

पिता का नाम - स्व० रंजीत सिंह यादव



लेखपाल



सहायक संपत्ति प्रणारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

आवेदन सं०: 202600719011427

ही संख्या 1 जिल्द संख्या 20868 के पृष्ठ 361 से 378 तक क्रमांक 4512 पर
दिनांक 24/03/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जय प्रकाश .
उप निबंधक : सदर प्रथम
मुरादाबाद
24/03/2026





INDIA NON JUDICIAL



IN-UP60800884395263Y


Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

4516/26



Certificate No. : IN-UP60800884395263Y
 Certificate Issued Date : 18-Mar-2026 10:35 AM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14792404/ MURADABAD SADAR/ UP-MRD
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1479240416843708478644Y
 Purchased by : SATISH KUMAR PAL SO LATE MAN SINGH
 Description of Document : Article 31 Exchange of property
 Property Description : PROPERTY SITUATED AT- SAHYADRI YOJNA (PURV MAI SONAKPUR YOJNA) TEH. AND DISTT. MORADABAD
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
 Second Party : SATISH KUMAR PAL SO LATE MAN SINGH
 Stamp Duty Paid By : SATISH KUMAR PAL SO LATE MAN SINGH
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 1,66,500
 (One Lakh Sixty Six Thousand Five Hundred only)



VERIFIED BY

LOCKED BY

Please write or type below this line

सतीश कुमार पाल



Handwritten signature

सहा० सम्यक्ति प्रभारी
मुसदाबाद विकास प्राधिकरण
मुसदाबाद

PF 0015484435

Statutory Alert

1. The e-Stamp, once verified through the website, cannot be cancelled or modified.
2. The user is responsible for the registration of the user's ID on the website.
3. In case of any discrepancy, you inform the concerned Authority.



SHCIL





भूखण्ड की कुल कीमत	:- 23,76,000.00
मालियत पूर्णांक करने	
के पश्चात देय स्टाम्प रू०	:- 1,66,320.00
ई-स्टाम्प नंबर	:- IN-UP60800884395263Y
ई-स्टाम्प रू०	:- 1,66,500.00
निबन्धन शुल्क रू०	:-

समायोजन/विनिमय डीड


आज दिनांक- 24/03/2026 को यह समायोजन/विनिमय डीड मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह यादव, सहायक सम्पत्ति प्रमारी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, जिन्हे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है

एवं

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री मान सिंह निवासी- भोगपुर मिठौनी उर्फ शिरीकुई, तहसील व जिला- मुरादाबाद जिन्हे आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य अनुसूची-अ व ब में वर्णित भूमि का विनिमय-विलेख समायोजित भूखण्ड/भूमि का स्वामित्व एवं कब्जा प्रदान किये जाने हेतु निष्पादित किया जा रहा है। सहयाद्रि योजना (पूर्व में सोनकपुर योजना) के अन्तर्गत कतिपय भू-स्वामियों की कुछ भूमि ऐसी भी है, जो न तो अधिग्रहीत की गयी है और न ही प्राधिकरण द्वारा क्रय की गयी है, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में भू-स्वामियों की भूमि के बदले 50 प्रतिशत भूमि के विकसित भूखण्ड, भू-स्वामियों को दिये जाने तथा विकसित भूखण्डो पर नियमानुसार विकास शुल्क प्राप्त किये जाने की स्वीकृति, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 133वीं बोर्ड बैठक दिनांक- 05.09.2023 के मद सं०-133/05 तथा 142वीं बोर्ड बैठक दिनांक- 27.09.2025 के मद संख्या- 142/03 में दी जा चुकी है।

और चूंकि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष की, अनुसूची में वर्णित भूखण्ड/कृषि भूमि, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ग्राम-सोनकपुर, तहसील व जिला- मुरादाबाद में सहयाद्रि योजना के अन्तर्गत स्थित है, अतः उक्त प्रस्ताव के प्रकाश में आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तों के अधीन, अनुसूची में निर्दिष्ट भूखण्ड/भूमि, जिसको मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के विकसित क्षेत्र में होने के कारण, विनिमय के आधार पर प्रदान किया जा रहा है, द्वितीय पक्ष को हस्तान्तरित किया जा रहा है।

सतीश कुमार यादव



(Signature)

सहायक सम्पत्ति प्रमारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



ग्राम-सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित गाटा संख्या-657 की कुल भूमि 0.0106 हेक्टे0 भूमि का जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा निर्धारित दर के अनुसार भूमि की मालियत की गणना निम्नवत् है :-

तालिका- 1

गाटा संख्या	रकबा हेक्टे0 में	जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा 2025-26 की निर्धारित सर्किल दर 9000/- प्रति वर्ग मी0	मालियत रूपये में
657	0.0106 हेक्टे0		9,54,000.00
		कुल घनांक रू0	9,54,000.00

तालिका- 2

द्वितीय पक्ष को दिये जाने वाले भूखण्डों व धनराशि सहित कुल मालियत-

भूखण्ड संख्या	कुल रकबा वर्ग मी0 में	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्डों की निर्धारित की गयी आवासीय दर	मालियत रूपये में
पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या- 319 अर्थात् 01 भूखण्ड (भूखण्ड का क्षेत्रफल 60.00 वर्गमी0-टाईप- एफ)	60.00	39,600/- प्रति वर्ग मी0	23,76,000.00
		कुल मालियत	23,76,000.00
देय भूखण्डों का क्षेत्रफल 50% से अधिक होने के कारण, अधिक क्षेत्रफल 7.00 वर्गमी0 के सापेक्ष द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को देय धनराशि	7.00	39,600/- प्रति वर्ग मी0	2,77,200.00


उपरोक्त वर्णित तालिकाओं में तालिका- 2 में अंकित भूखण्डों की मालियत अधिक होने के कारण उक्त मालियत पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है, जिसका विवरण तालिका- A में अंकित गया है।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड के उक्त निर्णय के अनुपालन में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के स्वामित्व की गाटा संख्या- 657 की भूमि 0.0106 हेक्टे0 योजना के अन्तर्गत स्थित होने के क्रम में समायोजित होने वाले देय विकसित भूखण्ड का विवरण इस प्रकार है :-

तालिका- A

1	द्वितीय पक्ष/भू-स्वामी का नाम व पता	श्री सतीश कुमार पुत्र श्री मान सिंह निवासी- भोगपुर मिठौनी उर्फ शिरिकुई, तहसील व जिला- मुरादाबाद	
2	द्वितीय पक्ष की भूमि का गाटा संख्या एवं प्रभावित क्षेत्रफल	गाटा संख्या-657 की भूमि 0.0106 हेक्टे0	
3	बोर्ड निर्णय अनुसार 50% भूमि का क्षेत्रफल	53.00 वर्ग मी0	
4	समायोजन/विनिमय हेतु प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों का विवरण	पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या- 319 अर्थात् 01 भूखण्ड	60.00 वर्गमी0
	पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या- 319 अर्थात् 01 भूखण्ड (भूखण्ड का क्षेत्रफल 60.00 वर्गमी0-टाईप- एफ) गाटा संख्या- 639 (क्रय भूमि), 655, 659 व 660 पर अवस्थित हैं।		

सतीश कुमार



[Signature]


राज्य सम्पत्ति प्रमारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



5	गाटा संख्या- 657 की भूमि 0.0106 हेक्टेर भूमि का 50 प्रतिशत, समायोजित भूमि क्षेत्रफल 53.00 वर्ग मीटर भूमि के सापेक्ष, विकसित भूखंड के कुल क्षेत्रफल 60.00 वर्ग मी०, द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है तथा अतिरिक्त क्षेत्रफल 7.00 वर्ग मी० भूमि के मूल्य का भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को किया जा रहा है। द्वितीय पक्ष द्वारा विनिमय विलेख निष्पादित करने पर आने वाले व्यय (स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क) का वहन स्वयं किया जा रहा है।	कुल 01 भूखण्ड	भूखण्डों का कुल क्षेत्र	60.00 वर्ग मी०
6	समायोजन/विनिमय हेतु प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल	60.00वर्गमी०		
7	निर्धारित 50% से क्षेत्रफल (अधिक/कम)	60.00-53.00= 7.00 वर्ग मी० अधिक		
8	द्वितीय पक्ष को देय 7.00 वर्ग मी० अधिक भूमि के सापेक्ष द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को देय धनराशि, जिसका भुगतान प्राधिकरण द्वारा 142वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में द्वितीय पक्ष द्वारा किया जा रहा है।	रु० 2,77,200.00		
9	द्वितीय पक्ष को देय भूखंड के कुल क्षेत्रफल का मूल्य	60.00 X रु० 39,600.00= रु० 23,76,000.00		
10	कुल मालियत	रु० 23,76,000.00		
11	कॉलम सं०-10 में अंकित कुल मालियत पर द्वितीय पक्ष द्वारा देय कुल स्टाम्प एवं	रु० 23,76,000 X 7% = 1,66,320.00		
	निबंधन/पंजीयन शुल्क	रु० 23,76,000 X 1% = 23,760.00		
12	प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को उसकी समायोजित भूमि (50 प्रतिशत) 53.00वर्गमी० के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी, 60.00वर्गमी० भूमि अर्थात् 7.00 वर्गमी० अधिक भूमि के सापेक्ष, द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को अधिक भूमि का मूल्य घनांक रु०-2,77,200.00 का भुगतान डी०डी० सं० 598686, दिनांक 12.03.2026, इंडियन बैंक के माध्यम से प्रथम पक्ष को किया जा रहा है।	रु०- 2,77,200.00		

अतः द्वितीय पक्ष द्वारा अनुसूची-अ में वर्णित आवासीय भूखण्ड का उपयोग, मुरादाबाद विकास क्षेत्र की महायोजना के भू-उपयोग के आधार पर, उपयोग किया जाना है।

अतीश कुतापाला




सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



आवेदन सं०: 202600719011269

विनिमय विलेख

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 4516

वर्ष: 2026

प्रतिफल- 2376000 स्टाम्प शुल्क- 166500 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 23760 प्रतिनिधिकरण शुल्क - 60 योग : 23820

श्री सतीश कुमार,
पुत्र श्री मान सिंह
व्यवसाय: अन्य
निवासी: भोगपुर मिठोनी ऊर्फ शिरीकुई तहसील व जिला मुरादाबाद

सतीश कुमार



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 24/03/2026 एवं 04:24:05 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जय प्रकाश,
उप निबंधक :सदर प्रथम
मुरादाबाद
24/03/2026

कृष्ण कुमार,
निबंधक लिपिक
24/03/2026



यह विलेख साक्षी है कि, अनुसूची-अ में वर्णित भूखण्डों को, द्वितीय पक्ष के पक्ष में, विनिमय किये जाने हेतु, प्रथम पक्ष एतद्वारा स्वीकार करता है, कि प्रतिफलस्वरूप, तथा आगे वर्णित प्रसविदाओं और शर्तों, जिनका द्वितीय पक्ष पालन करेगा, को ध्यान में रखकर, प्रथम पक्ष वह भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची-अ में दिया गया है, इस विनिमय विलेख के निष्पादन के दिनांक से, इसकी अनुसूची-अ में वर्णित भूखण्डों पर द्वितीय पक्ष को समस्त वैधानिक आवश्यकतायें/विधिक औपचारिकताएँ पूर्ण होने के पश्चात, कब्जा प्राप्त हो जायेगा तथा प्रथम पक्ष/मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अभिलेखों में द्वितीय पक्ष का नाम नियमानुसार अंकित किया जायेगा तथा अनुसूची-ब में वर्णित भूमि, पर प्रथम पक्ष/एम०डी०ए० को निजी स्वामित्व एवं कब्जा प्राप्त हो जायेगा तथा राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष, प्रथम पक्ष/मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अपना नाम दर्ज कराने का पूर्ण अधिकारी होगा। द्वितीय पक्ष प्रभावी विधि, नियमों एवं विनियमों के अधीन, उक्त भूखण्ड को हस्तान्तरित कर सकेगा एवं भूखण्ड पर निर्माण किये जाने वाले भवन पर देय करों को अथवा उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान करेगा तथा निर्माण करने से पूर्व, नियमानुसार, तत्समय लागू विकास शुल्क का भुगतान करते हुए, प्रथम पक्ष से अनुज्ञा प्राप्त करेगा। विनिमय विलेख के निष्पादन होने के उपरान्त, द्वितीय पक्ष एवं उसके वारिसान द्वारा भविष्य में अनुसूची ब में वर्णित भूमि पर किसी प्रकार का दावा/वाद-विवाद, किसी भी न्यायालय में करने का अधिकारी नहीं होगा। विनिमय विलेख निष्पादित होने के उपरान्त, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण/प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से प्राप्त भूमि पर विकास कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा और इस सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार की, कोई भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। इस विनिमय विलेख के निष्पादन की तिथि से अनुसूची-ब में वर्णित भूमि में द्वितीय पक्ष का स्वामित्व, कब्जा एवं समस्त अधिकार समाप्त हो जायेगे एवं स्वामित्व एवं कब्जा सम्बन्धी समस्त अधिकार पूर्णतः प्रथम पक्ष को प्राप्त होंगे, तथा किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेम/दावा इस बावत द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के विरुद्ध, किसी भी न्यायालय के समक्ष योजित नहीं किया जायेगा। इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्यय को द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जा रहा है।


यह स्पष्ट किया जाता है, कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के सम्बन्ध में, जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, प्रथम पक्ष उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों का तथा द्वितीय पक्ष में उसके दावाधिकारियों निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर्भाव सदैव रहेगा। इस विनिमय विलेख के साक्ष्य में द्वितीय पक्ष ने और प्रथम पक्ष की ओर से उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने, उस तिथि को हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है। इस विलेख में अभिदिष्ट अनुसूची निम्नवत है :-

अनुसूची-अ

जिसके स्वामी फरीक अब्बल/प्रथम पक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद है तथा जिसकी आराजी/सम्पत्ति फरीक दोगम/द्वितीय पक्ष को विनिमय की जा रही है। सम्पत्ति का विवरण-

भूखंड संख्या	भूखंड का क्षेत्रफल	
पॉकेट-ए (सेक्टर-2)-भूखण्ड सं०- 319	60.00 वर्गमी०	
भूखंडों का कुल क्षेत्रफल	60.00 वर्गमी०	
इस प्रकार निबन्धन हेतु भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल	60.00 वर्गमी०	

अतीश कुमारी



सहायक सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जय प्रकाश,

उप निबंधक : सदर प्रथम

मुरादाबाद

24/03/2026

कल्पित कुमार

निबंधक विधिक मुरादाबाद

24/03/2026

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी :




अनुसूची-ब


जिसके स्वामी फरीक दोगम/द्वितीय पक्ष श्री सतीश कुमार पुत्र श्री मान सिंह निवासी- भोगपुर मिठीनी उर्फ शिरीकुई, तहसील व जिला- मुरादाबाद आराजी/सम्पत्ति फरीक गाटा संख्या- 657 की भूमि 0.0106 हेक्टे0 अजल/प्रथम पक्ष को विनिमय की जा रही है तथा जिसका विवरण निम्नवत है-

सम्पत्ति का विवरण/फोटोग्राफ



सतीश कुमार पाल




सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



आवेदन सं०: 202600719011269

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 4516

वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
प्रथम पक्ष: 1

श्री सहायक सम्पत्ति प्रभारी मुरादाबाद विकास
प्राधिकरण के द्वारा देवेन्द्र सिंह यादव,

MORADABAD DEVELOPMENT
AUTHORITY

पुत्र श्री राम मूर्ति यादव

निवासी: एम०डी०ए०

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन् XXXXXX 731M

द्वितीय पक्ष: 1



श्री सतीश कुमार,

सतीश कुमार/SATISH KUMAR PAL

पुत्र श्री मान सिंह

निवासी: भोगपुर मिठोनी ऊर्फ शिरीकुई तहसील व जिला मुरादाबाद

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन् XXXXXX 057H

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1



श्री नुरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री खेम सिंह

निवासी: लेखपाल सोनकपुर मुरादाबाद

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2



श्री दिलीप यादव, पुत्र श्री रंजीत सिंह यादव

निवासी: कार्यालय एम०डी०ए० मुरादाबाद

व्यवसाय: नौकरी



उपरोक्त पक्षों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर निम्न गवाहों के समक्ष विनिमय/समायोजन डीड पर हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी नम्बर 1 -

हस्ताक्षर _____



नाम - श्री नरेन्द्र


पदनाम - क्षेत्रीय लेखपाल, ग्राम सोनकपुर, तहसील व जिला मुरादाबाद।

पिता का नाम - श्री खेम सिंह



साक्षी नम्बर 2 -

हस्ताक्षर _____



नाम - श्री दिलीप यादव

पदनाम - लिपिक, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।

पिता का नाम - स्व० रंजीत सिंह यादव



संतीश कुमारी



सहा० सम्पत्ति प्रनारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

आवेदन सं०: 202600719011269

इही संख्या 1 जिल्द संख्या 20869 के पृष्ठ 17 से 32 तक क्रमांक 4516 पर
दिनांक 24/03/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

↓
जय प्रकाश,
उप निबंधक : सदर प्रथम
मुरादाबाद
24/03/2026





Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



4454
26

Certificate No. : IN-UP60702856737383Y
 Certificate Issued Date : 18-Mar-2026 07:45 AM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14675304/ MURADABAD SADAR/ UP-MRD
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1467530416581344282620Y
 Purchased by : MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
 Description of Document : Article 31 Exchange of property
 Property Description : PROPERTY SITUATED AT SAHYADRI YOJNA (PURV MAI SONAKPURYOJNA) TEH. AND DISTT. MORADABAD
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
 Second Party : VIJAYPAL SO HARWANSH
 Stamp Duty Paid By : MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 4,94,670
 (Four Lakh Ninety Four Thousand Six Hundred And Seventy only)



VERIFIED BY

LOOKED BY
VERIFIED BY

Please write or type below this line

विजयपाल

सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

IPR 0015478391

Factory Alert



SHIL



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

44



भूखण्ड की कुल कीमत रू० :- 70,66,620.00

मालियत पूर्णांक करने

के पश्चात देय स्टाम्प रू० :- 4,94,670.00

ई-स्टाम्प नंबर

:- IN-UP60702856737383Y

ई-स्टाम्प रू०

:- 4,94,670.00

स्टाम्प रू०

:- 20.00

कुल स्टाम्प रू०

:- 4,94,690.00

निबन्धन शुल्क रू०

:-

समायोजन/विनिमय डीड

आज दिनांक- /03/2026 को यह समायोजन/विनिमय डीड मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह यादव, सहायक सम्पत्ति प्रभारी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, जिन्हे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है

विजय 4/5




सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



28 AUG 2025

आवेदन सं०: 202600719011004

असल मूल्य..... से एक वित्त
धनराशि..... 20 लाख रुपये 40000-
Moradabad Development Authority
श्री..... Moradabad
को कोषानगर मुरादाबाद से विक्रय किया

विनिमय विलेख

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 4454

वर्ष: 2026

प्रतिफल- 7066620 स्टाम्प शुल्क- 494690 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 70670 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 70730

श्री विजय पाल .
हरवंश
व्यवसाय : अन्य
निवासी: भोगपुर मिठोनी तहसील व जिला मुरादाबाद

विजय पाल



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 23/03/2026 एवं 04:33:05 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जय प्रकाश .
उप निबंधक : सदर प्रथम
मुरादाबाद
23/03/2026
कल्पित कुमार .
निबंधक लिपिक
23/03/2026



एवं

श्री विजयपाल पुत्र श्री हरवंश निवासी- भोगपुर मिठौनी तहसील व जिला- मुरादाबाद जिन्हे आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य अनुसूची-अ व ब में वर्णित भूमि का विनिमय-विलेख समायोजित भूखण्ड/भूमि का स्वामित्व एवं कब्जा प्रदान किये जाने हेतु निष्पादित किया जा रहा है। सहयाद्रि योजना (पूर्व में सोनकपुर योजना) के अन्तर्गत कतिपय भू-स्वामियों की कुछ भूमि ऐसी भी है, जो न तो अधिग्रहीत की गयी है और न ही प्राधिकरण द्वारा क्रय की गयी है, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में भू-स्वामियों की भूमि के बदले 50 प्रतिशत भूमि के विकसित भूखण्ड, भू-स्वामियों को दिये जाने तथा विकसित भूखण्डों पर नियमानुसार विकास शुल्क प्राप्त किये जाने की स्वीकृति, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 133वीं बोर्ड बैठक दिनांक- 05.09.2023 के मद सं0-133/05 तथा 142वीं बोर्ड बैठक दिनांक- 27.09.2025 के मद संख्या- 142/03 में दी जा चुकी है।

और चूंकि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष की, अनुसूची में वर्णित भूखण्ड/कृषि भूमि, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ग्राम-सोनकपुर, तहसील व जिला- मुरादाबाद में सहयाद्रि योजना के अन्तर्गत स्थित है, अतः उक्त प्रस्ताव के प्रकाश में आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तों के अधीन, अनुसूची में निर्दिष्ट भूखण्ड/भूमि, जिसको मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के विकसित क्षेत्र में होने के कारण, विनिमय के आधार पर प्रदान किया जा रहा है, द्वितीय पक्ष को हस्तान्तरित किया जा रहा है।

ग्राम-सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित गाटा सं0-657 की भूमि 0.0371 हेक्टे0 का 50 प्रतिशत 185.50 वर्ग मी भूमि का जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा निर्धारित दर के अनुसार भूमि की मालियत की गणना निम्नवत् है :-

तालिका- 1

गाटा संख्या	रकबा हेक्टे0 में	जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा 2025-26 की निर्धारित सर्किल दर	मालियत रूपये में
657	0.0371 हेक्टे0	9000/- प्रति वर्ग मी0	33,39,000.00
		कुल घनांक रू0	33,39,000.00

तालिका- 2

द्वितीय पक्ष को दिये जाने वाले भूखण्डों व धनराशि सहित कुल मालियत-

भूखण्ड संख्या	कुल रकबा वर्ग मी0 में	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्डों की निर्धारित की गयी आवासीय दर	मालियत रूपये में
पॉकेट-ए (सेक्टर-3) के भूखण्ड संख्या-13 (भूखण्ड का क्षेत्रफल 162.00 वर्ग मी0-टाईप- बी)	162.00	39,600/- प्रति वर्ग मी0	64,15,200.00
देय भूखण्डों का क्षेत्रफल 50% से कम होने के कारण, कम क्षेत्रफल 23.50 वर्ग मी0 के सापेक्ष प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को देय धनराशि	23.50	27,720/- प्रति वर्ग मी0	6,51,420.00
		कुल मालियत	70,66,620.00

विजयपाल


सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

उपरोक्त वर्णित तालिकाओं में तालिका- 2 में अंकित भूखण्डों की मालियत अधिक होने के कारण उक्त मालियत पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है, जिसका विवरण तालिका- A में अंकित गया है।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड के उक्त निर्णय के अनुपालन में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के स्वामित्व की गाटा सं० 657 की भूमि 0.0371 हेक्टे० का 50 प्रतिशत 185.50 वर्ग मी योजना के अन्तर्गत स्थित होने के क्रम में समायोजित होने वाले देय विकसित भूखण्ड का विवरण इस प्रकार है :-

तालिका- A

1	द्वितीय पक्ष/भू-स्वामी का नाम व पता	श्री विजयपाल पुत्र श्री हरवंश निवासी- भोगपुर मिठौनी तहसील व जिला- मुरादाबाद		
2	द्वितीय पक्ष की भूमि का गाटा संख्या एवं प्रभावित क्षेत्रफल	गाटा सं० 657 की भूमि 0.0371 हेक्टे० का 50 प्रतिशत 185.50 वर्ग मी		
3	बोर्ड निर्णय अनुसार 50% भूमि का क्षेत्रफल	185.50 वर्ग मी०		
4	समायोजन/विनिमय हेतु प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों का विवरण	पॉकेट-ए (सेक्टर-3) के भूखण्ड संख्या- 13	(भूखण्ड का क्षेत्रफल 162.00 व०मी०-टाईप- बी)	162.00
	पॉकेट-ए (सेक्टर-3) के भूखण्ड संख्या- 13 अर्थात् 01 भूखण्ड (भूखण्ड का क्षेत्रफल 162.00 व०मी०-टाईप- बी) गाटा संख्या- 662 (क्रय भूमि) एवं 664 पर अवस्थित है।			
5	गाटा संख्या- 657 की भूमि 371.00 वर्ग मी० का 50 प्रतिशत समायोजित भूमि क्षेत्रफल 185.50 वर्ग मी भूमि के सापेक्ष, विकसित भूखंड के कुल क्षेत्रफल 162.00 वर्ग मी०, द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है तथा 50% से कम क्षेत्रफल 23.50 वर्ग मी० भूमि के मूल्य का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को किया जा रहा है। द्वितीय पक्ष द्वारा विनिमय विलेख निष्पादित करने पर आने वाले व्यय (स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन शुल्क) का वहन करने में असमर्थता व्यक्त करने के कारण द्वितीय पक्ष को देय धनराशि में से उक्त धनराशि को समायोजित किया जा रहा है।	कुल 01 भूखण्ड	भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल	162.00 वर्ग मी०
6	समायोजन/विनिमय हेतु प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल	162.00व०मी०		
7	निर्धारित 50% से क्षेत्रफल (अधिक/कम)	185.50-162.00= 23.50 वर्ग मी० कम		
8	द्वितीय पक्ष को देय 23.50 वर्ग मी० कम भूमि के सापेक्ष प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को देय धनराशि, जिसका भुगतान प्राधिकरण द्वारा 142वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में द्वितीय पक्ष को किया जा रहा है।	₹ 6,51,420.00		
9	द्वितीय पक्ष को देय भूखंड के कुल क्षेत्रफल का मूल्य	162.00 X ₹ 39,600.00= ₹ 64,15,200.00		
10	कुल मालियत	₹ 70,66,620.00		
11	कॉलम सं०-10 में अंकित कुल मालियत पर द्वितीय पक्ष द्वारा देय कुल स्टाम्प एवं निबन्धन/पंजीयन शुल्क	₹ 70,66,620.00 X 7% = 4,94,670.00 ₹ 70,67,000.00 X 1% = Rs. 70,670.00		

विजयपाल 455

सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



<p>12 प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को उसकी समायोजित भूमि (50 प्रतिशत) 185.50वर्गमी० के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी, 162.00वर्गमी० भूमि अर्थात् 23.50 वर्गमी० कम भूमि के सापेक्ष, प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को कम भूमि का मूल्य घनांक रू०- 6,51,420.00 में से स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन शुल्क घनराशि रू० 5,65,340.00 समायोजित कर शेष घनराशि रू० 86,080.00 का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा केनरा बैंक के बैंक सं०-400693 दिनांक 17.03.2026 के द्वारा द्वितीय पक्ष को किया जा रहा है।</p>	<p>रू० 86,080.00</p>
--	----------------------

अतः द्वितीय पक्ष द्वारा अनुसूची-अ में वर्णित आवासीय भूखण्ड का उपयोग, मुरादाबाद विकास क्षेत्र की महायोजना के भू-उपयोग के आधार पर, उपयोग किया जाना है।

यह विलेख साक्षी है कि, अनुसूची-अ में वर्णित भूखण्डों को, द्वितीय पक्ष के पक्ष में, विनिमय किये जाने हेतु, प्रथम पक्ष एतद्वारा स्वीकार करता है, कि प्रतिफलस्वरूप, तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों, जिनका द्वितीय पक्ष पालन करेगा, को ध्यान में रखकर, प्रथम पक्ष वह भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची-अ में दिया गया है, इस विनिमय विलेख के निष्पादन के दिनांक से, इसकी अनुसूची-अ में वर्णित भूखण्डों पर द्वितीय पक्ष को समस्त वैधानिक आवश्यकतायें/विधिक औपचारिकताएँ पूर्ण होने के पश्चात्, कब्जा प्राप्त हो जायेगा तथा प्रथम पक्ष/मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अभिलेखों में द्वितीय पक्ष का नाम नियमानुसार अंकित किया जायेगा तथा अनुसूची-ब में वर्णित भूमि, पर प्रथम पक्ष/एम०डी०ए० को निजी स्वामित्व एवं कब्जा प्राप्त हो जायेगा तथा राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष, प्रथम पक्ष/मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अपना नाम दर्ज कराने का पूर्ण अधिकारी होगा। द्वितीय पक्ष प्रमावी विधि, नियमों एवं विनियमों के अधीन, उक्त भूखण्ड को हस्तान्तरित कर सकेगा एवं भूखण्ड पर निर्माण किये जाने वाले भवन पर देय करों को अथवा उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान करेगा तथा निर्माण करने से पूर्व, नियमानुसार, तत्समय लागू विकास शुल्क का भुगतान करते हुए, प्रथम पक्ष से अनुज्ञा प्राप्त करेगा। विनिमय विलेख के निष्पादन होने के उपरान्त, द्वितीय पक्ष एवं उसके वारिसान द्वारा भविष्य में अनुसूची ब में वर्णित भूमि पर किसी प्रकार का दावा/वाद-विवाद, किसी भी न्यायालय में करने का अधिकारी नहीं होगा। विनिमय विलेख निष्पादित होने के उपरान्त, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण/प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से प्राप्त भूमि पर विकास कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा और इस सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार की, कोई भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। इस विनिमय विलेख के निष्पादन की तिथि से अनुसूची-ब में वर्णित भूमि में द्वितीय पक्ष का स्वामित्व, कब्जा एवं समस्त अधिकार समाप्त हो जायेगे एवं स्वामित्व एवं कब्जा सम्बन्धी समस्त अधिकार पूर्णतः प्रथम पक्ष को प्राप्त होंगे, तथा किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेम/दावा इस बावत द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के विरुद्ध, किसी भी न्यायालय के समक्ष योजित नहीं किया जायेगा।

इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्यय को द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जा रहा है। द्वितीय पक्ष के स्वामित्व की भूमि के सम्बन्ध में यदि भविष्य में कोई वाद/विवाद होता है अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा भू-स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई तथ्य मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से छिपाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रश्नगत विनिमय विलेख स्वतः ही शून्य हो जायेगा और द्वितीय पक्ष को विनिमय विलेख के माध्यम से दिये गये भूखण्डों पर द्वितीय पक्ष अधिकार समाप्त हो जायेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है, कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के सम्बन्ध में, जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, प्रथम पक्ष उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों का तथा द्वितीय पक्ष में उसके दावाधिकारियों निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर्भाव सदैव रहेगा। इस विनिमय विलेख के साक्ष्य में द्वितीय पक्ष ने और प्रथम पक्ष की ओर से उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने, उस तिथि को हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है। इस विलेख में अभिदिष्ट अनुसूची निम्नवत है :-





सहा० सचिव प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

अनुसूची-अ


जिसके स्वामी फरीक अक्बल/प्रथम पक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद है तथा जिसकी आराजी/सम्पत्ति फरीक दोगम/द्वितीय पक्ष को विनिमय की जा रही है। सम्पत्ति का विवरण-

भूखंड संख्या	भूखंड का क्षेत्रफल	
पॉकेट-ए (सेक्टर-3)-भूखण्ड सं०- 13	162.00 वर्गमी०	
भूखंडों का कुल क्षेत्रफल	162.00 वर्गमी०	
इस प्रकार निबन्धन हेतु भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल	162.00 वर्गमी०	

अनुसूची-ब

जिसके स्वामी फरीक दोगम/द्वितीय पक्ष श्री विजयपाल पुत्र श्री हरवंश निवासी- भोगपुर मिल्डैनी तहसील व जिला- मुरादाबाद आराजी/सम्पत्ति फरीक गाटा संख्या- 657 की भूमि 0.0371 हेक्टे० अक्बल/प्रथम पक्ष को विनिमय की जा रही है तथा जिसका विवरण निम्नवत है-

सम्पत्ति का विवरण/फोटोग्राफ



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.
 सहाय सम्पत्ति प्रभारी
 मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
 मुरादाबाद



आवेदन सं०: 202600719011004

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 4454

वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
प्रथम पक्ष: 1

श्री सहायक सम्पत्ति प्रभारी मुरादाबाद विकास
प्राधिकरण के द्वारा देवेन्द्र सिंह यादव,

MORADABAD DEVELOPMENT
AUTHORITY

पुत्र श्री राम मूर्ति यादव

निवासी: कार्यालय एम०डी०ए०

व्यवसाय: नौकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन् XXXXXX 731M

द्वितीय पक्ष: 1



श्री विजय पाल,

VIJAYPAL

हरवंश

निवासी: भोगपुर मिठोनी तहसील व जिला मुरादाबाद

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन् XXXXXX 681M

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान
पहचानकर्ता : 1



श्री नरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री खेम सिंह

निवासी: लेखपाल सोनकपुर मुरादाबाद

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2



श्री दिलीप यादव, पुत्र श्री रंजीत सिंह यादव

निवासी: एम०डी०ए० मुरादाबाद

व्यवसाय: नौकरी

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



उभय पक्षों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर निम्न गवाहों के समक्ष विनिमय/समायोजन शीट पर हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी नम्बर 1 -

हस्ताक्षर _____

नाम- श्री नरेन्द्र

पदनाम - क्षेत्रीय लेखपाल, ग्राम सोनकपुर, तहसील व जिला मुरादाबाद।

पिता का नाम - श्री खेम सिंह



साक्षी नम्बर 2 -


हस्ताक्षर _____

नाम - श्री दिलीप यादव

पदनाम - लिपिक, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।

पिता का नाम - स्व० रंजीत सिंह यादव




सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

आवेदन सं०: 202600719011004

ही संख्या 1 जिल्द संख्या 20866 के पृष्ठ 201 से 216 तक क्रमांक 4454 पर
दिनांक 23/03/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


जय प्रकाश,
उप निबंधक : सदर प्रथम
मुरादाबाद
23/03/2026





Government of Uttar Pradesh



e-Stamp

4515/20



Certificate No. : IN-UP60805304244739Y
 Certificate Issued Date : 18-Mar-2026 10:37 AM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14792404/ MURADABAD SADAR/ UP-MRD
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1479240408701374431102Y
 Purchased by : VIJENDRA KUMAR PAL SO LATE MAN SINGH
 Description of Document : Article 31 Exchange of property
 Property Description : PROPERTY SITUATED AT- SAHYADRI YOJNA (PURV MAI SONAKPUR YOJNA) TEH. AND DISTT. MORADABAD
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
 Second Party : VIJENDRA KUMAR PAL SO LATE MAN SINGH
 Stamp Duty Paid By : VIJENDRA KUMAR PAL SO LATE MAN SINGH
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 1,66,500
 (One Lakh Sixty Six Thousand Five Hundred only)



VERIFIED BY

LOCKED BY

Please write or type below this line

अजय कुमार



सहायक सम्पत्ति प्रभारी
 मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
 मुरादाबाद

PIF 0015484436

Stamp Duty Alert

- 1. The certificate is valid only if the stamp duty is paid in full.
- 2. The amount of stamp duty is subject to change without notice.
- 3. The stamp duty is payable in advance.



5402



भूखण्ड की कुल कीमत रू० :- 23,76,000.00
मालियत पूर्णांक करने
के पश्चात देय स्टाम्प रू० :- 1,66,320.00
ई-स्टाम्प नंबर :- IN-UP60805304244739Y
ई-स्टाम्प रू० :- 1,66,500.00
निबन्धन शुल्क रू० :-



समायोजन/विनिमय डीड

आज दिनांक-24/03/2026 को यह समायोजन/विनिमय डीड मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह यादव, सहायक सम्पत्ति प्रभारी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, जिन्हे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है

एवं

श्री विजेन्द्र कुमार पुत्र श्री मान सिंह निवासी-फकीरपुरा निकट पुरानी पुलिस चौकी, पी०ए०सी०-23 के पीछे, भोगपुर मिठौनी उर्फ शिरीकुई, तहसील व जिला-मुरादाबाद जिन्हे आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य अनुसूची-अ व ब में वर्णित भूमि का विनिमय-विलेख समायोजित भूखण्ड/भूमि का स्वामित्व एवं कब्जा प्रदान किये जाने हेतु निष्पादित किया जा रहा है। सहयाद्रि योजना (पूर्व में सोनकपुर योजना) के अन्तर्गत कतिपय भू-स्वामियों की कुछ भूमि ऐसी भी है, जो न तो अधिग्रहीत की गयी है और न ही प्राधिकरण द्वारा क्रय की गयी है, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में भू-स्वामियों की भूमि के बदले 50 प्रतिशत भूमि के विकसित भूखण्ड, भू-स्वामियों को दिये जाने तथा विकसित भूखण्डों पर नियमानुसार विकास शुल्क प्राप्त किये जाने की स्वीकृति, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 133वीं बोर्ड बैठक दिनांक- 05.09.2023 के मद सं०-133/05 तथा 142वीं बोर्ड बैठक दिनांक- 27.09.2025 के मद संख्या- 142/03 में दी जा चुकी है।

और चूंकि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष की, अनुसूची में वर्णित भूखण्ड/कृषि भूमि, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ग्राम-सोनकपुर, तहसील व जिला- मुरादाबाद में सहयाद्रि योजना के अन्तर्गत स्थित है, अतः उक्त प्रस्ताव के प्रकाश में आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तों के अधीन, अनुसूची में निर्दिष्ट भूखण्ड/भूमि, जिसको मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के विकसित क्षेत्र में होने के कारण, विनिमय के आधार पर प्रदान किया जा रहा है, द्वितीय पक्ष को हस्तान्तरित किया जा रहा है।

विजेन्द्र कुमार यादव



(Handwritten signature)

सहायक सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



ग्राम-सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित गाटा संख्या-657 की भूमि 0.0106 हेक्टे0 भूमि का जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा निर्धारित दर के अनुसार भूमि की मालियत की गणना निम्नवत् है :-

तालिका- 1

गाटा संख्या	रकबा हैक्टे0 में	जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा 2025-26 की निर्धारित सर्किल दर	मालियत रूपये में
657	0.0106 हेक्टे0	9000/- प्रति वर्ग मी0	9,54,000.00
		कुल घनांक रू0	9,54,000.00

तालिका- 2

द्वितीय पक्ष को दिये जाने वाले भूखण्डो व धनराशि सहित कुल मालियत-

भूखण्ड संख्या	कुल रकबा वर्ग मी0 में	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्डो की निर्धारित की गयी आवासीय दर	मालियत रूपये में
पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या-318 अर्थात 01 भूखण्ड (भूखण्ड का क्षेत्रफल 60.00 वर्गमी0-टाईप- एफ)	60.00	39,600/- प्रति वर्ग मी0	23,76,000.00
		कुल मालियत	23,76,000.00
देय भूखण्डो का क्षेत्रफल 50% से अधिक होने के कारण, अधिक क्षेत्रफल 7.00 वर्गमी0 के सापेक्ष द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को देय धनराशि	7.00	39,600/- प्रति वर्ग मी0	2,77,200.00

उपरोक्त वर्णित तालिकाओं में तालिका- 2 में अंकित भूखण्डो की मालियत अधिक होने के कारण उक्त मालियत पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है, जिसका विवरण तालिका- A में अंकित गया है।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड के उक्त निर्णय के अनुपालन में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के स्वामित्व की गाटा संख्या- 657 की भूमि 0.0106 हेक्टे0 योजना के अन्तर्गत स्थित होने के क्रम में समायोजित होने वाले देय विकसित भूखण्ड का विवरण इस प्रकार है :-

तालिका- A

1	द्वितीय पक्ष/भू-स्वामी का नाम व पता	श्री विजेन्द्र कुमार पुत्र श्री मान सिंह निवासी- निवासी-फकीरपुरा निकट पूरानी पुलिस चौकी, पी0ए0सी0-23 के पीछे, भोगपुर मिठौनी उर्फ शिरीकुई, तहसील व जिला- मुरादाबाद	
2	द्वितीय पक्ष की भूमि का गाटा संख्या एवं प्रभावित क्षेत्रफल	गाटा संख्या- 657 की भूमि 0.0106 हेक्टे0	
3	बोर्ड निर्णय अनुसार 50% भूमि का क्षेत्रफल	53.00 वर्ग मी0	
4	समायोजन/विनिमय हेतु प्रस्तावित आवासीय भूखण्डो का विवरण	पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या- 318 अर्थात 01 भूखण्ड	60.00 वर्गमी0
	पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या- 318 अर्थात 01 भूखण्ड (भूखण्ड का क्षेत्रफल 60.00 वर्गमी0-टाईप- एफ) गाटा संख्या- 639 (क्रय भूमि), 655, 659 व 660 पर अवस्थित है।		

विजेन्द्र कुमार



(Signature)

सहायक सहायक प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



सवेदन सं०: 202600719011255

विनिमय विलेख

ही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 4515

वर्ष: 2026

तिफल- 2376000 स्टाम्प शुल्क- 166320 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 23760 प्रतिनिधिकरण शुल्क - 60 योग : 23820

श्री विजेन्द्र कुमार,
पुत्र श्री मान सिंह
यवसाय : अन्य

नेवारी: फकीरपुरा निकट पुरानी पुलिस चौकी पी०ए०सी० 23 के पीछे भोगपुर मिठोनी ऊर्फ शिरीकुई
ह० जिला मुरादाबाद

विजेन्द्र कुमार पाल



। यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 24/03/2026 एवं 04:19:44 PM बजे
नेबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जय प्रकाश .
उप निबंधक : सदर प्रथम
मुरादाबाद
24/03/2026

कमलेश कुमार .
निबंधक लिपिक
24/03/2026


https://igrsup.gov.in/igrsup/showEndorsReport_html



5	माला संख्या- 657 की भूमि 0.0106 हेक्टेर भूमि का 50 प्रतिशत, समायोजित भूमि क्षेत्रफल 53.00 वर्ग मीटर भूमि के सापेक्ष विकसित भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल 60.00 वर्ग मी०, द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है तथा अतिरिक्त क्षेत्रफल 7.00 वर्ग मी० भूमि के मूल्य का भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को किया जा रहा है। द्वितीय पक्ष द्वारा विनिमय विलेख निष्पादित करने पर आने वाले व्यय (स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन शुल्क) का वहन स्वयं किया जा रहा है।	कुल 01 भूखण्ड	भूखण्डों का कुल क्षेत्र	60.00 वर्ग मी०
6	समायोजन/विनिमय हेतु प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल	60.00 वर्ग मी०		
7	निर्धारित 50% से क्षेत्रफल (अधिक/कम)	60.00-53.00= 7.00 वर्ग मी० अधिक		
8	द्वितीय पक्ष को देय 7.00 वर्ग मी० अधिक भूमि के सापेक्ष द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को देय धनराशि, जिसका भुगतान प्राधिकरण द्वारा 142वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में द्वितीय पक्ष द्वारा किया जा रहा है।	₹ 2,77,200.00		
9	द्वितीय पक्ष को देय भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल का मूल्य	60.00 X ₹ 39,600.00= ₹ 23,76,000.00		
10	कुल मालियत	₹ 23,76,000.00		
11	कोलम सं०-10 में अंकित कुल मालियत पर द्वितीय पक्ष द्वारा देय कुल स्टाम्प एवं निबन्धन/पंजीयन शुल्क	₹ 23,76,000 X 7% = 1,66,320.00 ₹ 23,76,000 X 1% = 23,760.00		
12	प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को उसकी समायोजित भूमि (50 प्रतिशत) 53.00 वर्ग मी० के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी, 60.00 वर्ग मी० भूमि अर्थात् 7.00 वर्ग मी० अधिक भूमि के सापेक्ष, द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को अधिक भूमि का मूल्य धनांक ₹- 2,77,200.00 का भुगतान डी०डी संख्या-512225, दिनांक 10.03.2026, एस०बी०आई० बैंक, के माध्यम से प्रथम पक्ष को किया जा रहा है।	₹- 2,77,200.00		

अतः द्वितीय पक्ष द्वारा अनुसूची-अ में वर्णित आवासीय भूखण्ड का उपयोग, मुरादाबाद विकास क्षेत्र की महायोजना के भू-उपयोग के आधार पर, उपयोग किया जाना है।

विजेन्द्र कुमार



(Signature)

सहायक सचिव प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जय कान्हा,

उप निबंधक : रादर प्रथम

मुरादाबाद

24/03/2026

कल्पिता कुमार

निबंधक सिविक मुरादाबाद

24/03/2026

ने की प्रत्यक्ष भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी :

स्टाफ्फ
विभाग



यह विलेख साक्षी है कि, अनुसूची-अ में वर्णित भूखण्डों को, द्वितीय पक्ष के पक्ष में, विनिमय किये जाने हेतु, प्रथम पक्ष एतद्वारा स्वीकार करता है, कि प्रतिफलस्वरूप, तथा आगे वर्णित प्रसविदाओं और शर्तों, जिनका द्वितीय पक्ष पालन करेगा, को ध्यान में रखकर, प्रथम पक्ष वह भूखण्ड, उराकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची-अ में दिया गया है, इस विनिमय विलेख के निष्पादन के दिनांक से, इसकी अनुसूची-अ में वर्णित भूखण्डों पर द्वितीय पक्ष को समस्त वैधानिक आवश्यकतायें/विधिक औपचारिकताएँ पूर्ण होने के पश्चात्, कब्जा प्राप्त हो जायेगा तथा प्रथम पक्ष/मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अभिलेखों में द्वितीय पक्ष का नाम नियमानुसार अंकित किया जायेगा तथा अनुसूची-ब में वर्णित भूमि, पर प्रथम पक्ष/एम०डी०ए० को निजी स्वामित्व एवं कब्जा प्राप्त हो जायेगा तथा राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष, प्रथम पक्ष/मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अपना नाम दर्ज कराने का पूर्ण अधिकारी होगा। द्वितीय पक्ष प्रभावी विधि, नियमों एवं विनियमों के अधीन, उक्त भूखण्ड को हस्तान्तरित कर सकेगा एवं भूखण्ड पर निर्माण किये जाने वाले भवन पर देय करों को अथवा उरा पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान करेगा तथा निर्माण करने से पूर्व, नियमानुसार, तत्समय लागू विकास शुल्क का भुगतान करते हुए, प्रथम पक्ष से अनुज्ञा प्राप्त करेगा। विनिमय विलेख के निष्पादन होने के उपरान्त, द्वितीय पक्ष एवं उराके वारिसान द्वारा भविष्य में अनुसूची ब में वर्णित भूमि पर किसी प्रकार का दावा/वाद-विवाद, किसी भी न्यायालय में करने का अधिकारी नहीं होगा। विनिमय विलेख निष्पादित होने के उपरान्त, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण/प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से प्राप्त भूमि पर विकास कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा और इस सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार की, कोई भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। इस विनिमय विलेख के निष्पादन की तिथि से अनुसूची-ब में वर्णित भूमि में द्वितीय पक्ष का स्वामित्व, कब्जा एवं समस्त अधिकार समाप्त हो जायेगे एवं स्वामित्व एवं कब्जा सम्बन्धी समस्त अधिकार पूर्णतः प्रथम पक्ष को प्राप्त होंगे, तथा किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेम/दावा इस बावत द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के विरुद्ध, किसी भी न्यायालय के सम्मुख योजित नहीं किया जायेगा। इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्यय को द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जा रहा है।

यह स्पष्ट किया जाता है, कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के सम्बन्ध में, जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, प्रथम पक्ष उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों का तथा द्वितीय पक्ष में उसके दावाधिकारियों निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर्भाव सदैव रहेगा। इस विनिमय विलेख के साक्ष्य में द्वितीय पक्ष ने और प्रथम पक्ष की ओर से उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने, उस तिथि को हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है। इस विलेख में अभिदिष्ट अनुसूची निम्नवत है :-

अनुसूची-अ

जिसके स्वामी फरीक अब्दुल/प्रथम पक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद है तथा जिसकी आराजी/सम्पत्ति फरीक दोगम/द्वितीय पक्ष को विनिमय की जा रही है। सम्पत्ति का विवरण-

भूखंड संख्या	भूखंड का क्षेत्रफल	
पॉकट-ए (सेक्टर-2)-भूखण्ड सं०- 318	60.00 वर्गमी०	
भूखंडों का कुल क्षेत्रफल	60.00 वर्गमी०	
इस प्रकार निबन्धन हेतु भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल	60.00 वर्गमी०	

विजेन्द्र कुमार पाल



(Signature)

सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



आवेदन सं०: 202600719011255

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 4515

वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
प्रथम पक्ष: 1

श्री सहायक सम्पत्ति प्रभारी मुरादाबाद विकास
प्राधिकरण के द्वारा देवेन्द्र सिंह यादव,

MORADABAD DEVELOPMENT
AUTHORITY

पुत्र श्री राम मूर्ति यादव

निवासी: एम०डी०ए०

व्यवसाय: नौकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन् XXXXXX 731M

द्वितीय पक्ष: 1



श्री विजेन्द्र कुमार,

VIJENDRA KUMAR

पुत्र श्री मान सिंह


निवासी: फकीरपुरा निकट पुरानी पुलिस चौकी पी०ए०सी० 23 के पीछे भोगपुर मिठोनी ऊर्फ
शिरीकुई तह० जिला मुरादाबाद

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन् XXXXXX 448E

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1

विजेन्द्र कुमार



श्री नरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री खेम सिंह

निवासी: लेखपाल सोनकपुर मुरादाबाद

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2

Niranjan



श्री दिलीप यादव, पुत्र श्री रंजीत सिंह यादव

निवासी: एम०डी०ए०


व्यवसाय: नौकरी



अनुसूची-ब

जिसके स्वामी फरीक दोगम/द्वितीय पक्ष श्री विजेन्द्र कुमार पुत्र श्री मान सिंह निवासी- भोगपुर मिठौनी उर्फ शिरीकुई, तहसील व जिला- मुरादाबाद आराजी/सम्पत्ति फरीक गाटा संख्या-657 की भूमि 0.0106 हेक्टेअब्बल/प्रथम पक्ष को विनिमय की जा रही है तथा जिसका विवरण निम्नवत है:-

सम्पत्ति का विवरण/फोटोग्राफ



विजेन्द्र कुमार



[Handwritten Signature]

सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



उभय पक्षों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर निम्न गवाहों के समझ विनियम/समायोजन डीड पर हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी नम्बर 1 -

हस्ताक्षर

नाम- श्री नरेन्द्र

पदनाम - क्षेत्रीय लेखपाल, ग्राम सोनकपुर, तहसील व जिला मुरादाबाद।

पिता का नाम - श्री खेम सिंह



साक्षी नम्बर 2 -

हस्ताक्षर

नाम - श्री दिलीप यादव

पदनाम - लिपिक, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।

पिता का नाम - स्व० रंजीत सिंह यादव



खेम सिंह कुमाल



सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

आवेदन सं०: 202600719011255

ही संख्या 1 जिल्द संख्या 20869 के पृष्ठ 1 से 16 तक क्रमांक 4515 पर
दिनांक 24/03/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जय प्रकाश .

उप निबंधक : सदर प्रथम

मुरादाबाद
24/03/2026

जय प्रकाश .

उप निबंधक : सदर प्रथम

संख्या : जिल्द संख्या 20859 के पृष्ठ 1 से 16 तक क्रमांक 4515 पर दिनांक





INDIA NON JUDICIAL



Government of Uttar Pradesh

IN-UP69058907747900Y

e-Stamp



Certificate No. 4606 : IN-UP69058907747900Y
 Certificate Issued Date 26 : 23-Mar-2026 12:53 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14792404/ MURADABAD SADAR/ UP-MRD
 Unique Doc Reference : SUBIN-UPUP1479240433239535797385Y
 Purchased by : VINOD KUMAR SO LATE MAN SINGH
 Description of Document : Article 31 Exchange of property
 Property Description : PROPERTY SITUATED AT- SAHYADRI YOJNA (PURV MAI SONAKPUR YOJNA) TEH. AND DISTT. MORADABAD
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
 Second Party : VINOD KUMAR SO LATE MAN SINGH
 Stamp Duty Paid By : VINOD KUMAR SO LATE MAN SINGH
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 1,74,800
 (One Lakh Seventy Four Thousand Eight Hundred only)




VERIFIED BY

LOCKED BY

Please write or type below this line

विनायक कुमार



सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

IPF 0015484444

Statutory Airt



Scanned with OKEN Scanner



SHCIL



SHCIL



भूखण्ड की कुल कीमत रू० :- 24,94,800.00
मालियत पूर्णांक करने
के पश्चात देय स्टाम्प रू० :- 1,74,650.00
ई-स्टाम्प नंबर :- IN-UP69058907747900Y
ई-स्टाम्प रू० :- 1,74,800.00
निबन्धन शुल्क रू० :-

समायोजन/विनिमय डीड

आज दिनांक- २५/03/2026 को यह समायोजन/विनिमय डीड मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह यादव, सहायक सम्पत्ति प्रभारी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, जिन्हे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है

एवं

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री मान सिंह निवासी- भोगपुर मिठौनी उर्फ शिरीकुई तहसील व जिला- मुरादाबाद जिन्हे आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य अनुसूची-अ व ब में वर्णित भूमि का विनिमय-विलेख समायोजित भूखण्ड/भूमि का स्वामित्व एवं कब्जा प्रदान किये जाने हेतु निष्पादित किया जा रहा है। सहयाद्रि योजना (पूर्व में सोनकपुर योजना) के अन्तर्गत कतिपय भू-स्वामियों की कुछ भूमि ऐसी भी है, जो न तो अधिग्रहीत की गयी है और न ही प्राधिकरण द्वारा क्रय की गयी है, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में भू-स्वामियों की भूमि के बदले 50 प्रतिशत भूमि के विकसित भूखण्ड, भू-स्वामियों को दिये जाने तथा विकसित भूखण्डों पर नियमानुसार विकास शुल्क प्राप्त किये जाने की स्वीकृति, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 133वीं बोर्ड बैठक दिनांक- 05.09.2023 के मद सं०-133/05 तथा 142वीं बोर्ड बैठक दिनांक- 27.09.2025 के मद संख्या- 142/03 में दी जा चुकी है।

और चूंकि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष की, अनुसूची में वर्णित भूखण्ड/कृषि भूमि, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ग्राम-सोनकपुर, तहसील व जिला- मुरादाबाद में सहयाद्रि योजना के अन्तर्गत स्थित है, अतः उक्त प्रस्ताव के प्रकाश में आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तों के अधीन, अनुसूची में निर्दिष्ट भूखण्ड/भूमि, जिसको मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के विकसित क्षेत्र में होने के कारण, विनिमय के आधार पर प्रदान किया जा रहा है, द्वितीय पक्ष को हस्तान्तरित किया जा रहा है।

विनोद कुमार



सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



ग्राम-सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित गाटा संख्या- 657 की रकबा 0.0106 हेक्टे0 भूमि का जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा निर्धारित दर के अनुसार भूमि की मालियत की गणना निम्नवत् है :-

तालिका- 1

गाटा संख्या	रकबा हेक्टे0 में	जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा 2025-26 की निर्धारित सर्किल दर	मालियत रुपये में
657	0.0106 हेक्टे0	9000/- प्रति वर्ग मी0	9,54,000.00
		कुल घनांक रु0	9,54,000.00

तालिका- 2

द्वितीय पक्ष को दिये जाने वाले भूखण्डों व धनराशि सहित कुल मालियत-

भूखण्ड संख्या	कुल रकबा वर्ग मी0 में	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्डों की निर्धारित की गयी आवासीय दर	मालियत रुपये में
पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या- 344 (कार्नर भूखण्ड, भूखण्ड का क्षेत्रफल 60.00 वर्गमी0-टाईप- एफ)	60.00	रु0 41,580/- प्रति वर्गमी0 (39,600/- प्रति वर्ग मी0+ 5 प्रतिशत कार्नर चार्ज रु0 1,980)	24,94,800.00
कुल	60.00	कुल मालियत	24,94,800.00
देय भूखण्डों का क्षेत्रफल 50% से अधिक होने के कारण, अधिक क्षेत्रफल 07.00वर्गमी0 के सापेक्ष द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को देय धनराशि	07.00	41,580/- प्रति वर्ग मी0	2,91,060.00
		कुल मालियत	24,94,800.00


उपरोक्त वर्णित तालिकाओं में तालिका- 2 में अंकित भूखण्डों की मालियत अधिक होने के कारण उक्त मालियत पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है, जिसका विवरण तालिका- A में अंकित गया है।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड के उक्त निर्णय के अनुपालन में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के स्वामित्व की गाटा संख्या- 657 की रकबा 0.0106 हेक्टे0 योजना के अन्तर्गत स्थित होने के क्रम में समायोजित होने वाले देय विकसित भूखण्ड का विवरण इस प्रकार है :-

तालिका- A

1	द्वितीय पक्ष/भू-स्वामी का नाम व पता	श्री विनोद कुमार पुत्र श्री मान सिंह निवासी- मोगपुर मिठौनी उर्फ शिरीकुई तहसील व जिला- मुरादाबाद
2	द्वितीय पक्ष की भूमि का गाटा संख्या एवं प्रभावित क्षेत्रफल	गाटा संख्या- 657 की रकबा 0.0106 हेक्टे0 भूमि का 50 प्रतिशत 53.00 वर्ग मी0
3	बोर्ड निर्णय अनुसार 50% भूमि का क्षेत्रफल	53.00 वर्ग मी0

विनोद कुमार



सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



4	समायोजन/विनिमय हेतु प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों का विवरण	पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या- 344 (कार्नेर भूखण्ड)	(भूखण्ड का क्षेत्रफल 60.00 वर्गमी०-टाईप-एफ)	60.00
पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या- 344 (कार्नेर भूखण्ड, भूखण्ड का क्षेत्रफल 60.00 वर्गमी०-टाईप-एफ) गाटा संख्या- 656 (क्रय भूमि) पर अवस्थित है।				
5	गाटा संख्या- 657 की रकबा 0.0106 हेक्टे० का 50 प्रतिशत समायोजित भूमि क्षेत्रफल 53.00 वर्ग मी भूमि के सापेक्ष, विकसित भूखंड के कुल क्षेत्रफल 60.00 वर्ग मी०, द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है तथा द्वितीय पक्ष को देय अतिरिक्त क्षेत्रफल 07.00 वर्ग मी० भूमि के मूल्य का भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को किया जा रहा है। द्वितीय पक्ष द्वारा विनिमय विलेख निष्पादित करने पर आने वाले व्यय (स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन शुल्क) का वहन स्वयं किया जा रहा है।	कुल 01 भूखण्ड	भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल	60.00 वर्ग मी०
6	समायोजन/विनिमय हेतु प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल	60.00वर्गमी०		
7	निर्धारित 50% से क्षेत्रफल (अधिक/कम)	60.00-53.00= 07.00 वर्ग मी० अधिक		
8	द्वितीय पक्ष को देय 07.00 वर्ग मी० अधिक भूमि के सापेक्ष द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को देय धनराशि, जिसका भुगतान प्राधिकरण द्वारा 142वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में द्वितीय पक्ष द्वारा किया जा रहा है।	₹ 2,91,060.00		
9	द्वितीय पक्ष को देय भूखंड के कुल क्षेत्रफल का मूल्य	60.00 X ₹ 41,580.00= ₹ 24,94,800.00		
10	कुल मालियत (9+10)	₹ 24,94,800.00		
11	कॉलम सं०-10 में अंकित कुल मालियत पर द्वितीय पक्ष द्वारा देय कुल स्टाम्प एवं	₹ 24,94,800.00 X 7% = 1,74,650.00		
	निबन्धन/पंजीयन शुल्क	₹ 24,94,800.00 X 1% = 24,950.00		

विनोद कुमार



(Signature)

सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



आवेदन सं०: 202600719011622

विनिमय विलेख

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 4606

वर्ष: 2026

प्रतिफल- 2494800 स्टाम्प शुल्क- 174800 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 24950 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 25010

श्री दिनोद कुमार,
पुत्र श्री गान सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी: भोगपुर मिठोनी ऊर्फ शिरीकुई तहसील व जिला मुरादाबाद

दिनोद कुमार



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 25/03/2026 एवं 04:55:47 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जय प्रकाश,
उप निबंधक : सदर प्रथम
मुरादाबाद
25/03/2026

कल्पित कुमार
निबंधक निधिक
25/03/2026



12	<p>प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को उसकी समायोजित भूमि (50 प्रतिशत) 53.00व0मी0 के सापेक्ष 60.00व0मी0 भूमि उपलब्ध करायी जा रही है। द्वितीय पक्ष को देय 53 वर्ग मी0 भूमि के सापेक्ष 07.00 व0मी0 अधिक भूमि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दी जा रही है। अतः द्वितीय पक्ष को देय 7.00 वर्ग मी0 अधिक भूमि का मूल्य घनांक रू0 2,91,060.00 का भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा क्रमशः डी0डी0 सं0-488592, रू0 2,77,200.00 डी0डी0 सं0-488593 रू0 13,860.00 अर्थात कुल रू0 2,91,060.00 यूनियन बैंक, के द्वारा प्रथम पक्ष को किया जा रहा है।</p>	<p>रू0 2,91,060.00</p>
----	---	------------------------

अतः द्वितीय पक्ष द्वारा अनुसूची-अ में वर्णित आवासीय भूखण्ड का उपयोग, मुरादाबाद विकास क्षेत्र की महायोजना के भू-उपयोग के आधार पर, उपयोग किया जाना है।

यह विलेख साक्षी है कि, अनुसूची-अ में वर्णित भूखण्डों को, द्वितीय पक्ष के पक्ष में, विनिमय किये जाने हेतु, प्रथम पक्ष एतद्वारा स्वीकार करता है, कि प्रतिफलस्वरूप, तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों, जिनका द्वितीय पक्ष पालन करेगा, को ध्यान में रखकर, प्रथम पक्ष वह भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची-अ में दिया गया है, इस विनिमय विलेख के निष्पादन के दिनांक से, इसकी अनुसूची-अ में वर्णित भूखण्डों पर द्वितीय पक्ष को समस्त वैधानिक आवश्यकतायें/विधिक औपचारिकताएँ पूर्ण होने के पश्चात, कब्जा प्राप्त हो जायेगा तथा प्रथम पक्ष/मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अभिलेखों में द्वितीय पक्ष का नाम नियमानुसार अंकित किया जायेगा तथा अनुसूची-ब में वर्णित भूमि, पर प्रथम पक्ष/एम०डी०ए० को निजी स्वामित्व एवं कब्जा प्राप्त हो जायेगा तथा राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष, प्रथम पक्ष/मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अपना नाम दर्ज कराने का पूर्ण अधिकारी होगा। द्वितीय पक्ष प्रभावी विधि, नियमों एवं विनियमों के अधीन, उक्त भूखण्ड को हस्तान्तरित कर सकेगा एवं भूखण्ड पर निर्माण किये जाने वाले भवन पर देय करों को अथवा उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान करेगा तथा निर्माण करने से पूर्व, नियमानुसार, तत्समय लागू विकास शुल्क का भुगतान करते हुए, प्रथम पक्ष से अनुज्ञा प्राप्त करेगा। विनिमय विलेख के निष्पादन होने के उपरान्त, द्वितीय पक्ष एवं उसके वारिसान द्वारा भविष्य में अनुसूची ब में वर्णित भूमि पर किसी प्रकार का दावा/वाद-विवाद, किसी भी न्यायालय में करने का अधिकारी नहीं होगा। विनिमय विलेख निष्पादित होने के उपरान्त, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण/प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से प्राप्त भूमि पर विकास कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा और इस सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार की, कोई भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। इस विनिमय विलेख के निष्पादन की तिथि से अनुसूची-ब में वर्णित भूमि में द्वितीय पक्ष का स्वामित्व, कब्जा एवं समस्त अधिकार समाप्त हो जायेगे एवं स्वामित्व एवं कब्जा सम्बन्धी समस्त अधिकार पूर्णतः प्रथम पक्ष को प्राप्त होंगे, तथा किसी भी प्रकार का कोई भी वलेम/दावा इस बावत द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के विरुद्ध, किसी भी न्यायालय के समक्ष योजित नहीं किया जायेगा। इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्यय को द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जा रहा है।

विनायक कुमार



4
सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



उप निबंधक : सदर प्रथम
मुरादाबाद
25/03/2026

कल्पित कुमार
निबंधक लिपिक मुरादाबाद
25/03/2026

स्वाम्य एवं सचिवालय विभाग, उत्तर प्रदेश



यह स्पष्ट किया जाता है, कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के सम्बन्ध में, जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, प्रथम पक्ष उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों का तथा द्वितीय पक्ष में उसके दावाधिकारियों निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर्भाव सदैव रहेगा। इस विनियम विलेख के साक्ष्य में द्वितीय पक्ष ने और प्रथम पक्ष की ओर से उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने, उस तिथि को हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है। श्री विनोद को कार्नर का भूखण्ड आवंटित किया गया है, यदि योजना के विकास के उपरान्त भूखण्ड के क्षेत्र में वृद्धि होती है, तो श्री विनोद को नियमानुसार भूखण्ड के अतिरिक्त मूल्य का भुगतान करना होगा। इस विलेख में अभिदिष्ट अनुसूची निम्नवत है :-

अनुसूची-अ


जिसके स्वामी फरीक अब्दुल/प्रथम पक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद है तथा जिसकी आराजी/सम्पत्ति फरीक दोगम/द्वितीय पक्ष को विनियम की जा रही है। सम्पत्ति का विवरण-

भूखंड संख्या	भूखंड का क्षेत्रफल	
पॉकेट-ए (सेक्टर-2)-भूखण्ड सं०- 344	60.00 वर्गमी०	
भूखंडों का कुल क्षेत्रफल	60.00 वर्गमी०	
इस प्रकार निबन्धन हेतु भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल	60.00 वर्गमी०	

अनुसूची-ब

जिसके स्वामी फरीक दोगम/द्वितीय पक्ष श्री विनोद कुमार पुत्र श्री मान सिंह निवासी- भोगपुर मिठौनी उर्फ शिरीकुई तहसील व जिला- मुरादाबाद आराजी/सम्पत्ति फरीक गाटा संख्या- 657 की भूमि 0.0106 हेक्टे० अब्दुल/प्रथम पक्ष को विनियम की जा रही है तथा जिसका विवरण निम्नवत है-

सम्पत्ति का विवरण/फोटोग्राफ



5

विनोद कुमार



(Handwritten signature)

सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



आवेदन सं०: 202600719011622

कॉपी सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 4606

वर्ष: 2026

निष्पादन लेखक बाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
प्रथम पक्ष: 1

श्री सहपाठक समिति प्रभारी एम०डी०ए० के द्वारा MORADABAD DEVELOPMENT
डेवेलप लिह यादव, AUTHORITY

पुत्र श्री राम मूर्ति यादव

निवासी: एम०डी०ए०

व्यवसाय: नौकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 731M

द्वितीय पक्ष: 1



श्री विनोद कुमार,

VINOD KUMAR

पुत्र श्री मान सिंह

विनोद कुमार

निवासी: भोगपुर मिठोनी ऊर्फ शिरीकुई तहसील व जिला मुरादाबाद

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 427C



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1

श्री नरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री खेम सिंह

निवासी: लेखपाल सोनकपुर मुरादाबाद

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2



श्री दिलीप यादव, पुत्र श्री रंजीत यादव

निवासी: एम०डी०ए० मुरादाबाद

व्यवसाय: नौकरी

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निम्नान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।
टिप्पणी:



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जय प्रकाश

उभय पक्षों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर निम्न गवाहों के समक्ष विनिमय/समायोजन डीड पर हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी नम्बर 1 -

हस्ताक्षर



नाम- श्री नरेन्द्र


पदनाम - क्षेत्रीय लेखपाल, ग्राम सोनकपुर, तहसील व जिला मुरादाबाद।

पिता का नाम - श्री खेम सिंह



साक्षी नम्बर 2 -

हस्ताक्षर



नाम - श्री दिलीप यादव

पदनाम - लिपिक, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।

पिता का नाम - स्व० रंजीत सिंह यादव



दिनेश कुमार



सहा० सम्प्रति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



आवेदन सं०: 202600719011622

ही संख्या 1 जिल्द संख्या 20872 के पृष्ठ 211 से 226 तक क्रमांक 4606 पर दिनांक 25/03/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



जय प्रकाश .
उप निबंधक : सदर प्रथम
मुरादाबाद
25/03/2026



e-Stamp

3606
26

Certificate No. : IN-UP30111482628895Y
 Certificate Issued Date : 25-Feb-2025 02:48 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14905304/ MURADABAD SADAR/ UP-MRD
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1490530452069999501408Y
 Purchased by : SURAJ PAL SO HARBANSH
 Description of Document : Article 31 Exchange of property
 Property Description : PROPERTY SITUATED AT SAHYADRI YOJNA (PURV MAI SONAKPUR YOJNA) TEH. AND DISTT. MORADABAD
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY MORADABAD
 Second Party : SURAJ PAL SO HARBANSH
 Stamp Duty Paid By : SURAJ PAL SO HARBANSH
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 8,98,500
 (Eight Lakh Ninety Eight Thousand Five Hundred only)



[Handwritten signature]

VERIFIED BY

Please write or type below this line

LOCKED BY

सुरज पाल



[Handwritten signature]

सहा० सत्यत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

0015466345



मूखण्ड की कुल कीमत	:- 1,28,30,400.00
मालियत पूर्णांक करने	
के पश्चात देय स्टाम्प शुल्क रु०	:- 8,98,128.00
ई-स्टाम्प नंबर	:- IN-UP30111482628895Y
ई-स्टाम्प रु०	:- 8,98,500.00
नियन्धन शुल्क	:-

समायोजन/विनिमय डीड

आज दिनांक 27/02/26 को यह समायोजन/विनिमय डीड मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह यादव, सहायक सम्पत्ति प्रभारी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, जिन्हे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है एवं

श्री सूरज पाल पुत्र श्री हरवंश निवासी- भोगपुर मिठौनी, रेलवे गेट नं०-418/सी/2, निकट सोनकपुर ओवर ब्रिज तहसील व जिला-मुरादाबाद जिन्हे आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है, के मध्य अनुसूची-अ व ब में वर्णित भूमि का विनिमय-विलेख समायोजित मूखण्ड/भूमि का स्वामित्व एवं कब्जा प्रदान किये जाने हेतु निष्पादित किया जा रहा है। सहयाद्रि योजना (पूर्व में सोनकपुर योजना) के अन्तर्गत कतिपय भू-स्वामियों की कुछ भूमि ऐसी भी है, जो न तो अधिग्रहीत की गयी है और न ही प्राधिकरण द्वारा क्रय की गयी है, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में भू-स्वामियों की भूमि के बदले 50 प्रतिशत भूमि के विकसित मूखण्ड, भू-स्वामियों को दिये जाने तथा विकसित मूखण्डों पर नियमानुसार विकास शुल्क प्राप्त किये जाने की स्वीकृति, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 133वीं बोर्ड बैठक दिनांक- 05.09.2023 के मद सं०-133/05 तथा 142वीं बोर्ड बैठक दिनांक- 27.09.2025 के मद संख्या-142/03 में दी जा चुकी है।

सूरज पाल



सहा० सम्पत्ति प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद

और चूंकि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष को, अनुसूची में वर्णित भूखण्ड/कृषि भूमि, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को ग्राम-सोनकपुर, तहसील व जिला- मुरादाबाद में सह्याद्रि योजना के अन्तर्गत स्थित है, अतः उक्त प्रस्ताव के प्रकार में आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तों के अधीन, अनुसूची में निर्दिष्ट भूखण्ड/भूमि, जिसको मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के विकसित क्षेत्र में होने के कारण, विनिमय के आधार पर प्रदान किया जा रहा है, द्वितीय पक्ष को हरतान्तरित किया जा रहा है।

ग्राम-सोनकपुर तहसील व जिला मुरादाबाद स्थित गाटा संख्या-657 की भूमि 371.00 वर्गमी० (Rounded off 0.0372 हेक्टे०) तथा गाटा संख्या-695 की भूमि 227.50 वर्गमी० (Rounded off 0.0230 हेक्टे०) अर्थात् कुल 598.50 वर्गमी० भूमि का जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा निर्धारित दर के अनुसार भूमि की मालियत की गणना निम्नवत् है:-

तालिका- 1

गाटा संख्या	रकबा हेक्टे० में	जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा 2025-26 की निर्धारित सर्किल दर	मालियत रुपये में
657	0.0372	9000/- प्रति वर्ग मी०	33,48,000.00
695	0.0230	9000/- प्रति वर्ग मी०	20,70,000.00
कुल धनांक रु०			54,18,000.00


तालिका- 2

द्वितीय पक्ष को दिये जाने वाले भूखण्डों व धनराशि सहित कुल मालियत-

भूखण्ड सं०	कुल रकबा वर्ग मी० में	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्डों की निर्धारित की गयी आवासीय दर	मालियत रुपये में
पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड सं०- 24 एवं भूखण्ड संख्या- 58 अर्थात् 02 भूखण्ड (भूखण्ड का क्षेत्रफल 162.00 वर्गमी०-टाईप-बी)	324.00	39,600/- प्रति वर्ग मी०	1,28,30,400.00
देय भूखण्डों का क्षेत्रफल 50% से अधिक होने के कारण, अधिक क्षेत्रफल 24.75 वर्गमी० के सापेक्ष द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को देय धनराशि	24.75	39,600/- प्रति वर्ग मी०	9,80,100.00
कुल मालियत			1,38,10,500.00

उपरोक्त वर्णित तालिकाओं में तालिका- 2 में अंकित भूखण्डों की मालियत अधिक होने के कारण उक्त मालियत पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है, जिसका विवरण तालिका- A में अंकित गया है।

सह्याद्रि



 2
 सह्याद्रि सम्पत्ति प्रभारी
 मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
 मुरादाबाद

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड के उक्त निर्णय के अनुपालन में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के स्वामित्व की गाटा संख्या-657 की भूमि 371.00 वर्गमी० (Rounded off 0.0372 हेक्टे०) तथा गाटा संख्या-695 की भूमि 227.50 वर्गमी० Rounded off 0.0230 हेक्टे०) अर्थात् कुल 598.50 वर्गमी० योजना के अन्तर्गत स्थित होने के क्रम में समायोजित होने वाले देय विकसित भूखण्ड का विवरण इस प्रकार है :-

तालिका- A

1	द्वितीय पक्ष/भू-स्वामी का नाम व पता	श्री सुरज फाल पुत्र श्री हरवंश निवासी- भोगपुर गिटौनी, रेलवे गेट नं०-418/सो/2, निकट सोनकपुर ओवर ब्रिज तहसील व जिला- मुरादाबाद		
2	द्वितीय पक्ष की भूमि का गाटा संख्या एवं प्रभावित क्षेत्रफल	गाटा संख्या-657 की भूमि 371.00वर्गमी० (Rounded off 0.0372 हेक्टे०) तथा गाटा संख्या-695 की भूमि 227.50 वर्गमी० Rounded off 0.0230 हेक्टे०) अर्थात् कुल 598.50वर्गमी०		
3	बोर्ड निर्णय अनुसार 50% भूमि का क्षेत्रफल	299.25 वर्ग मी०		
4	समायोजन/विनिमय हेतु प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों का विवरण	पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड सं०- 24 व 58 अर्थात् 02 भूखण्ड	324.00 वर्गमी०	
		पॉकेट-ए (सेक्टर-2) के भूखण्ड संख्या- 24 अर्थात् 01 भूखण्ड (भूखण्ड का क्षेत्रफल 162.00वर्गमी०-टाईप- बी) आंशिक रूप से गाटा संख्या-646, 652 एवं 653 तथा भूखण्ड सं०-58 अर्थात् 01 भूखण्ड (भूखण्ड का क्षेत्रफल 162.00वर्गमी०-टाईप- बी) आंशिक रूप से गाटा संख्या-642, 643, 646 एवं 653 पर अवस्थित हैं।		
5	गाटा संख्या- 657 की भूमि 371.00वर्गमी० (Rounded off 0.0372 हेक्टे०) तथा गाटा संख्या- 695 की भूमि 227.50वर्गमी० Rounded off 0.0230 हेक्टे०) अर्थात् कुल 598.50वर्गमी० भूमि का 50 प्रतिशत, समायोजित भूमि क्षेत्रफल 299.25 वर्ग मीटर भूमि के सापेक्ष, विकसित भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल 324.00 वर्ग मी०, द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है तथा अतिरिक्त क्षेत्रफल 24.75 वर्ग मी० भूमि के मूल्य का भुगतान द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को किया जा रहा है। द्वितीय पक्ष द्वारा विनिमय विलेख निष्पादित करने पर आने वाले व्यय (स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क) का बहन स्वयं किया जा रहा है।	कुल 02 भूखण्ड	भूखण्डों का कुल क्षेत्र	324.00 वर्ग मी०
6	समायोजन/विनिमय हेतु प्रस्तावित आवासीय भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल	324.00वर्गमी०		
7	निर्धारित 50% से क्षेत्रफल (अधिक/कम)	324.00-299.25= 24.75 वर्ग मी० अधिक		

222514705



(Signature)

सहा० संचालि प्रभारी 3
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



आवेदन सं०: 202600719008613

विनिमय विलेख

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 3600

वर्ष: 2026

प्रतिफल: 12830400 स्ट्याम्प शुल्क - 898500 बालबारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 128310 प्रतिनिधिकरण शुल्क - 60 योग: 128370


श्री सुरज पात,
पुत्र श्री हरवेश
व्यावसाय: अन्य
निवासी: भोगपुर मिठोनी रेलवे गेट नं० 418 सी 2 लिम्कट सोनकपुर कीवर विज तहसील व जिला
मुरादाबाद

2-251470



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 27/02/2026 एतं 04:08:33 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


जय प्रकाश,
उप निबंधक, सदर प्रथम
मुरादाबाद
27/02/2026

कल्पित कुमार
निबंधक लिपिक
27/02/2026




8	द्वितीय पक्ष को देय 24.75 वर्ग मी० अधिक भूमि को सापेक्ष द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को देय धनराशि, जिसका भुगतान प्राधिकरण द्वारा 142वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में द्वितीय पक्ष द्वारा किया जा रहा है।	रु० 9,80,100.00
9	द्वितीय पक्ष को देय भूखंड के कुल क्षेत्रफल का मूल्य	324 X रु० 39,600.00= रु० 1,28,30,400.00
10	कुल मालियत	रु० 1,28,30,400.00
11	फॉर्मल सं०-10 में अंकित कुल मालियत पर द्वितीय पक्ष द्वारा देय कुल स्टाम्प एवं	रु० 1,28,30,400.00 X 7% = 8,98,128.00
	निबन्धन/पंजीयन शुल्क	रु० 1,28,30,400.00 X 1% = 1,28,304.00
12	प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को उसकी समायोजित भूमि (50 प्रतिशत) 299.25वर्गमी० को सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी, 324.00वर्गमी० भूमि अर्थात् 24.75 वर्गमी० अधिक भूमि को सापेक्ष, द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को अधिक भूमि का मूल्य बर्नांक रु०- 9,80,100.00 का भुगतान आर०टी०जी०एस० के माध्यम से दिनांक 25.02.2026 के द्वारा किया जा रहा है।	रु०- 9,80,100.00

अतः द्वितीय पक्ष द्वारा अनुसूची-अ में वर्णित आवासीय भूखण्ड का उपयोग, मुरादाबाद विकास क्षेत्र की महायोजना के भू-उपयोग के आधार पर, उपयोग किया जाना है।

यह विलेख साक्षी है कि, अनुसूची-अ में वर्णित भूखण्डों को, द्वितीय पक्ष के पक्ष में, विनिमय किये जाने हेतु, प्रथम पक्ष एतद्वारा स्वीकार करता है, कि प्रतिफलस्वरूप, तथा आगे वर्णित प्रसविदाओं और शर्तों, जिनका द्वितीय पक्ष पालन करेगा, को ध्यान में रखकर, प्रथम पक्ष वह भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची-अ में दिया गया है, इस विनिमय विलेख के निष्पादन के दिनांक से, इसकी अनुसूची-अ में वर्णित भूखण्डों पर द्वितीय पक्ष को समस्त वैधानिक आवश्यकतायें/विधिक औपचारिकताएँ पूर्ण होने के पश्चात्, कब्जा प्राप्त हो जायेगा तथा प्रथम पक्ष/मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अभिलेखों में द्वितीय पक्ष का नाम नियमानुसार अंकित किया जायेगा तथा अनुसूची-ब में वर्णित भूमि, पर प्रथम पक्ष/एम०डी०ए० को निजी स्वामित्व एवं कब्जा प्राप्त हो जायेगा तथा राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष, प्रथम पक्ष/मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अपना नाम दर्ज कराने का पूर्ण अधिकारी होगा।

22/01/2025



(Signature)

सहा० सत्यजित प्रभारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद 4



कल्पित कुमार.
निबंधक लिपिक मुरादाबाद
27/02/2026

द्वितीय पक्ष प्रभावी विधि, नियमों एवं विनियमों के अधीन, उक्त भूखण्ड को हस्तान्तरित कर सकेगा एवं भूखण्ड पर निर्माण किये जाने वाले भवन पर देय करों को अथवा उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान करेगा तथा निर्माण करने से पूर्व, निश्चयानुसार, तत्समय लागू विकास शुल्क का भुगतान करते हुए, प्रथम पक्ष से अनुज्ञा प्राप्त करेगा। विनियम विलेख के निष्पादन होने के उपरान्त, द्वितीय पक्ष एवं उसके वारिसान द्वारा भविष्य में अनुसूची-ब में वर्णित भूमि पर किसी प्रकार का दावा/वाद-विवाद, किसी भी न्यायालय में करने का अधिकारी नहीं होगा। विनियम विलेख निष्पादित होने के उपरान्त, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण/प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से प्राप्त भूमि पर विकास कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा और इस सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार की, कोई भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। इस विनियम विलेख के निष्पादन की तिथि से अनुसूची-ब में वर्णित भूमि में द्वितीय पक्ष का स्वामित्व, कब्जा एवं समस्त अधिकार समाप्त हो जायेंगे एवं स्वामित्व एवं कब्जा सम्बन्धी समस्त अधिकार पूर्णतः प्रथम पक्ष को प्राप्त होंगे, तथा किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेम/दावा इस बाबत द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के विरुद्ध, किसी भी न्यायालय के समक्ष योजित नहीं किया जायेगा। इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में होने वाले सम्पूर्ण व्यय को द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जा रहा है। यह स्पष्ट किया जाता है, कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के सम्बन्ध में, जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, प्रथम पक्ष उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों का तथा द्वितीय पक्ष में उसके दावाधिकारियों निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर्भाव सदैव रहेगा। इस विनियम विलेख के साध्य में द्वितीय पक्ष ने और प्रथम पक्ष की ओर से उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने, उस तिथि को हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है। इस विलेख में अभिदिष्ट अनुसूची निम्नवत है :-

अनुसूची-अ

जिसके स्वामी फरीक अब्दुल/प्रथम पक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद है तथा जिसकी आराजी/सम्पत्ति फरीक दोयम/द्वितीय पक्ष को विनियम की जा रही है। सम्पत्ति का विवरण-

भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल	
पॉकेट-ए (सेक्टर-2)-भूखण्ड सं०- 24	162.00 वर्गमी०	
पॉकेट-ए (सेक्टर-2)-भूखण्ड सं०- 58	162.00 वर्गमी०	
भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल	324.00 वर्गमी०	
इस प्रकार निबन्धन हेतु भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल	324.00 वर्गमी०	

सहस्रपाल



सहायक सम्पत्ति प्रवर्तक
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



आवेदन सं०: 202600719008613

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 3606

वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समाझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त प्रथम पक्ष: 1

श्री सहायक सम्पाति प्रबन्धक एम०डी०ए० के द्वारा देवेन्द्र सिंह यादव

MORADABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

पुत्र श्री राम मूर्ति यादव

निवासी: एम०डी०ए० मुरादाबाद

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 731M

द्वितीय पक्ष: 1

[Handwritten signature]



श्री सुरज पाल

[SURAJ PAL

पुत्र श्री हरवंश

निवासी: भोगपुर मिठोनी रेलवे गेट नं० 418/सी/2 निकट सोनकपुर औवर त्रिज तहसील व जिला मुरादाबाद

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन XXXXXX 436J

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1

सुरज 476



श्री नरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री खेम सिंह

निवासी: सोनकपुर मुरादाबाद

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2

[Handwritten signature]



श्री दिलीप यादव, पुत्र श्री रंजीत सिंह यादव

निवासी: एम०डी०ए० मुरादाबाद

व्यवसाय: नौकरी

ने को। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं। टिप्पणी:

[Handwritten signature]



रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

[Handwritten signature]
जय प्रकाश
उप निबंधक : सदर प्रथम
मुरादाबाद
27.02.2026

अनुसूची-ब

जिसके स्वामी फरीक दोगम/द्वितीय पक्ष श्री सुरज पाल पुत्र श्री हरवंश निवासी- भोगपुर मिठौनी, रेलवे गेट नं०- 418/सी/2, निकट सोनकपुर ओवर ब्रिज तहसील व जिला- मुरादाबाद आराजी/सम्पत्ति फरीक गाटा संख्या-657 की भूमि 371.00व०मी० (Rounded off 0.0372 हेक्टे०) तथा गाटा संख्या- 695 की भूमि 227.50व०मी० Rounded off 0.0230 हेक्टे०) अर्थात कुल 598.50व०मी० अव्यल/प्रथम पक्ष को विनिमय की जा रही है तथा जिसका विवरण निम्नवत है:-

सम्पत्ति का विवरण/फोटोग्राफ



उभय पक्षों द्वारा आपसी सहमति के आधार पर निम्न गवाहों के समक्ष विनिमय/समायोजन डीड पर हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी नम्बर 1 -

हस्ताक्षर _____

नाम- श्री नरेन्द्र

पदनाम - क्षेत्रीय लेखपाल, ग्राम सोनकपुर, तहसील व जिला मुरादाबाद।

पिता का नाम - श्री खेम सिंह



साक्षी नम्बर 2 -

हस्ताक्षर _____

नाम - श्री दिलीप यादव

पदनाम - लिपिक, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।

पिता का नाम - स्व० रंजीत सिंह यादव



22/2/2024

6

सहा० सम्पत्ति प्रनारी
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद



आवेदन सं०: 202600719008613

वही संख्या 1 जिल्द संख्या 20833 के पृष्ठ 289 से 304 तक क्रमांक 3606 पर
दिनांक 27/02/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जय प्रकाश

उप निबंधक : सदर प्रथम

मुरादाबाद

27/02/2026

